राष्ट्रीय संस्कृति निधि

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

प्राक्कथन

वर्ष 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय संस्कृति निधि (राष्ट्रीय संस्कृति निधि) ने अपनी चालू परियोजनाओं के पुनर्निर्माण और सशक्तिकरण पर अपने जोर को सतत् जारी रखा और उनको पूरा करने का प्रयास किया है।

न केवल इसने अपने नये भागीदार बनाये हैं बल्कि समग्र रूप से मौजूदा भागीदरी को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाया है।

हमारी विरासत स्मारकों के परिरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने के प्रति जागरूकता और आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय संस्कृति निधि के कार्यकलाप एवं कार्य वर्ष–दर–वर्ष बढ़े हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में विरातस को परिरक्षित करने और संरक्षित करने में वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा मुख्य भूमिका निभाने के प्रसास को रिकार्ड किया गया है। सरकार, कॉरपोरेट क्षेत्र और सिविल सोसायटी के लिए ब्राण्ड छवि हेतु राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने जिम्मेवारी और विश्वसनीयता सुनिश्चित की है।

विरासत संरक्षण और कला एवं संस्कृति के विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है तथा राष्ट्रीय संस्कृति निधि आगामी वर्षों में उक्त क्षेत्र के लिए विकास करना और सकारात्मक योगदान देना जारी रखेगा।

विषय – सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि का परिचय	06
2.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि का उद्देश्य	07
3.	प्रबंधन एवं प्रशासन	09
4.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि की संरचना	09
5.	2017–18 की मुख्य विशेषताएं	10
	(i) 2017–18 में पूर्ण परियोजनाएं	10
	(ii) 2017–18 में नई पहलें	11
6.	जारी परियोजनाएं	28
7.	लेखा परीक्षित लेखे का विवरण	37

1. राष्ट्रीय संस्कृति निधि का परिचय

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ), की स्थापना दिनांक 28 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित गजट अधिसूचना के माध्यम से धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत न्यास के रूप में भारत सरकार, संस्कृति विभाग (अब संस्कृति मंत्रालय) द्वारा की गई थी।

एन सी एफ की परिकल्पना संस्कृति से संबंधित प्रयासों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बनाकर लोगों का बौद्धिक एवं वित्तीय, दोनों समर्थन प्राप्त करने की व्यवस्था के रूप में की गई थी।

भारत की संस्कृति सबसे पुरानी एवं अद्वितीय संस्कृतियों में से एक है। भारत में एक विस्मयकारी सांस्कृतिक विविधता है, जिसका परिणाम अद्वितीय अधिकता – धर्म, भाषा, वास्तुकला, परम्परा एवं रीति–रिवाज की अधिकता है। इस भारतीयता को आने वाले समय में बिना बिखरे और बिना बाधा के खिलने के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर प्रयास शुरू किए गए हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित शब्दों में सांस्कृतिक अधिकार की गारंटी देता है –

''भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें इसको संरक्षित करने का अधिकार है।''

बिना किसी सांस्कृतिक नीति या सांस्कृतिक प्रबंधन के किसी संस्थान/विभाग के हम काम के विरासत को भावी पीढ़ी के लिए परिरक्षित नहीं कर सकते हैं।

आज दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत हमले और खतरे के अध्यधीन है, जिससे सांस्कृतिक विरासत की सततता चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसके अनेक कारण हैं – पर्यावरणीय क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक दबाव और शहरीकरण का बढ़ता चरण, वैश्विक पर्यटन के तनाव। वस्तुतः समय आ गया है कि हम अपने अतीत के परिरक्षण का काम करें।

सांस्कृतिक परिरक्षण के लिए सामाजिक मांग को उपलब्ध सरकारी संसाधनों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और अतः इसे सरकारी एजेंसियों का निजी एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी से पूरा किया जाना है।

यह अनुभव किया गया है कि संस्कृति पर खर्च अर्थव्यवस्था की निकासी नहीं है, वरन् मानव एवं सामाजिक विकास के लिए योगदान है। हमारे देश में भूतकालीन संस्कृति के वृहत् अवशेष को भारत में सांस्कृतिक वित्त पोषण के प्रतिमानों में उपयुक्त समायोजन एवं नवाचार द्वारा सर्वोत्तम तरीके से परिरक्षित किया जाना है। अतः कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेवारी और हमारे विरासत संसाधनों की सततता के बीच संयोजन का पता लगाना महत्वपूर्ण हो गया है। चूंकि देश का लक्ष्य अपने विरासत संसाधनों को बनाए रखने का प्रयास है, कारपोरेट क्षेत्र सतत् विरासत प्रबंधन और परिरक्षण के प्रक्रिया में एक भागीदार और प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए भारत सरकार, संस्कृति विभाग (अब संस्कृति मंत्रालय) द्वारा 28 नवम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के जरिए धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत एक न्यास के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन सी एफ) की स्थापना की गई थी। एन सी एफ सांस्कृतिक निधियन का एक नवाचारी प्रतिमान है, जो भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत के प्रवर्धन एवं परिरक्षण में संस्थानों और व्यक्तियों को अपनी सही भूमिका निभाने में समर्थ बनाता है और विस्तृत सीमा तक समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक अपेक्षा को वित्तपोषित करता है।

सी एस आर के तहत् एन सी एफ के जरिए परियोजनाओं का निधियन इस बात की मान्यता देता है कि कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी केवल अनुपालन ही नहीं है, उन पहलों के समर्थन की प्रतिबद्धता है जो प्रमुखतः राष्ट्रहित में पहलों को पर्याप्त रूप से सुधारता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी नीति) नियम, 2014 के तहत् यथा अधिसूचित अनेक फोकस क्षेत्रों में सांस्कृतिक संपदा के परिरक्षण के लिए सी एस आर निधियन को सी एस आर

नीति के निम्नलिखित खंड में कवर किया जा सकता है

''ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों और कला वस्तुओं के परिरक्षण सहित राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का रक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; परम्परागत कला शिल्प का संवर्धन एवं विकास।''

एन सी एफ के तहत् दानकर्त्ता के लिए मूर्त्त या अमूर्त्त परियोजना की पहचान करना और साथ ही वित्तपोषण के किसी विशिष्ट पहलू और परियोजना के निष्पादन के लिए एक एजेंसी का पहचान करना संभव है।

एन सी एफ के सभी अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ के तहत् आयकर में छूट का अधिकार प्राप्त है।

- **एन सी एफ के साथ भागीदारी के लिए आगे आने वालों को निम्नलिखित सहित अनेक लाभ हैं :**

1. राष्ट्रीय संस्कृति निधि हेतु दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (पप) के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर छूट का पात्र है।
2. एन सी एफ दानकर्त्ताओं, एन सी एफ और पी आई सी की भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से परियोजना प्रबंधन में सुनम्यता प्रदान करता है।
3. परियोजना को एक संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन समिति (पी आई सी) के माध्यम से क्रियान्वित और मॉनीटर किया जाता है, जिसमें एन सी एफ और दानकर्त्ता का एक प्रतिनिधि हो।
4. प्रत्येक विकास स्थल पर पट्टिका लगाने का प्रावधान किया गया है जो दानदाताओं, सहयोगकर्ताओं, तथा भागीदारों के प्रतिदान को सुगम बनाता है।

एन सी एफ का अपने संरक्षण के अंतर्गत अधिकृत कार्यकलापों के लिए भारतीय संसद और दानकर्ताओं के प्रति अंतर्निहित जिम्मेदारी है। व्यापक रूप में, एनसीएफ की परिकल्पना निगमित और सार्वजनिक क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के साथ भागीदारी और सहभागिता में कार्य करने के लिए की गई है, जिससे वे मूर्त और अमूर्त संस्कृति और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के संरक्षण, परिरक्षण और विकास के प्रति योगदान कर सकें।

इसके साथ–साथ एन सी एफ अंतर–विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने, नई वीथिकाओं एवं संग्रहालयों के सृजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों में कौशल वर्धन व्यावसायिक प्रशिक्षण देने/आयोजन करने का प्रयास कर रहा है।

इन विविध पहलों, कार्यक्रमों और विचारों के जरिए एन सी एफ भारत की संपन्न सांस्कृतिक संपदा (मूर्त्त और अमूर्त्त दोनों) के परिरक्षण, संरक्षण और अनुरक्षण के विशेष संदर्भ के साथ विरासत जागरूकता को बढ़ाना और इसका नेतृत्व करना चाहता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान भी एन सी एफ भारत की संपन्न संस्कृति और विरासत की रक्षा की दिशा में अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रयत्नशील था।

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 में इसका संक्षिप्त लेखा–जोखा दिया जा रहा है।

- **एन सी एफ के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :**

i) संरक्षित स्मारकों या अन्य स्मारकों के संरक्षण, अनुरक्षण, संवर्धन, रक्षण, उन्नयन एवं विकास के लिए निधियां जुटाना एवं उपयोग करना।

ii) सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों के पुनर्वास के लिए कलात्मक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी समस्याओं पर अनुसंधान एवं अध्ययन शुरू करना।

iii) सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में व्यावसायिकों एवं स्टाफ कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

iv) कलात्मक प्रयत्नों के सभी स्वरूपों विशेषकर कलाओं में नवाचारी प्रयोगों को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना।

v) विद्यमान संग्रहालयों में अतिरिक्त जगह बनाना तथा नवीन एवं विशिष्ट वीथिकाएं सृजित करने या समाहित करने हेतु नए संग्रहालय का निर्माण करना।

vi) समाज के सांस्कृतिक विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, नगर–निकायों अथवा क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतियां बनाना।

vii) सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संवर्धन एवं परिरक्षण में संलग्न संगठनों, सरकारी या गैर–सरकारी संस्थाओं को संसाधन उपलब्ध कराना।

viii) भारत एवं अन्य देशों के बीच अनुबंधित सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के दायरे में स्वदेशी विशेषज्ञता, मानव संसाधन तथा कार्यकलापों के विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना।

ix) विरासतों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं या किसी अन्य गतिविधि के लिए कम ब्याज पर, यहां तक कि ब्याज रहित ऋण के लिए निधि उपलब्ध कराना।

2. प्रबंधन एवं प्रशासन

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का प्रबंधन एक परिषद एवं कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है।

इस परिषद के अध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री हैं।

कार्यकारी समिति की अध्यक्षता सचिव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाती है।

परिषद की अधिकतम सदस्य की संख्या चौबीस है, जिसमें अधिकतम उन्नीस प्रख्यात सदस्य निगमित एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी प्रतिष्ठानों एवं गैर लाभकारी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।

प्रत्येक परियोजना का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से परियोजना कार्यान्वयन समिति (पी आई सी) द्वारा किया जाता है जिसमें दानकर्ताओं/अंशदानकर्ताओं/सह प्रवर्तकों/कार्यान्वयन एजेंसियों का यथोचित प्रतिनिधित्व है। परियोजना कार्यान्वयन समिति में एन सी एफ का प्रतिनिधित्व होता है और यथा आवश्यक नागरिक प्राधिकारी एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी होते हैं।

प्रत्येक परियोजना के लिए एक अलग संयुक्त बैंक खाता होता है जो एन सी एफ के प्रतिनिधि तथा दानदाता/निधियन एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा परिचालित होता है। प्रत्येक परियोजना के खाते का विवरण एन सी एफ के खाते में समन्वित होता है जिसका वार्षिक आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है।

दिनांक 28 नवंबर 1996 की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति निधि की संरचना

परिषद		
1	माननीय संस्कृति मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
2	सचिव, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
3	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
4	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य (पदेन)
5	निदेशक, संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य सचिव (पदेन)
क्र.सं. 6 एवं आगे	कारपोरेट क्षेत्र, निजी प्रतिष्ठानों और लाभ के लिए नहीं स्वयंसेवी संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम 12 और अधिक से अधिक 19 प्रसिद्ध व्यक्ति	–
कार्यपालक समिति		
1	सचिव, संस्कृति मंत्रालय	अध्यक्ष (पदेन)
2	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
3	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य (पदेन)
4	निद्रेशक, संस्कृति मंत्रालय (एन सी एफ का प्रभारी)	सदस्य सचिव (पदेन)
क्र.सं. 5 एवं आगे	प्रबंधन एवं निधि उगाही में उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए परिषद के 6 सदस्यों को नामित किया जाना है	

3. 2017–18 की मुख्य विशेषताएं

❖ 2017–18 में पूर्ण परियोजनाएं :

दो परियोजनाएं जो वित वर्ष 2017–18 में पूर्ण हुई :

1. तुगलक़ाबाद किला, नई दिल्ली

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 13 अप्रैल, 2009

वित्तपोषक/भागीदार : मैसर्स गेल इंडिया लिमिटेड/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : तुग़लक़ाबाद किला का नवीकरण एवं रखरखाव।

मैसर्स गेल ने तुगलकाबाद किला परियोजना के लिए 30 लाख रु. का अंशदान दिया है।

तुग़लक़ाबाद किला, दिल्ली

छह किलोमीटर में फैला यह किला दिल्ली के तीसरे नगर का भाग है, जिसका निर्माण 1321 ई. में तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। शहर के अनियमित भूयोजना के चारों ओर पत्थर का व्यापक दुर्ग है। ढ़लानदार मलबा से भरी दीवारें लगभग 15 फीट ऊँची है और तुगलक वंश के स्मारकों की विशिष्ट विशेषता है। इसके ऊपर युद्ध संबंधी रोक है और इसे दो महल तक वृत्तीय बुर्ज से सुदृढ़ किया गया है।

दक्षिण दिल्ली में 14वी सदी के अवशेष तुगलकाबाद किला को स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) द्वारा परियोजना को पूरा करने के बाद नया स्वरूप मिला। नगर के स्मारकों के रखरखाव के लिए कारपोरेट सामाजिक जिम्मेवारी (सी एस आर) के तहत् गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने 30 लाख रु. दान दिया था, जिसका उपयोग किले के संरक्षण के लिए किया गया।

उन कार्यों की पहचान की गई थी, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता थी और तदनुसार संरक्षण का कार्य शुरू किया गया। किले के बुर्ज और दुर्ग के दीवारों की मरम्मत की गई। परिरक्षण के लिए आस–पास की अरावली पहाड़ियों से पत्थरों का प्रयोग किया गया। ए एस आई ने किले में बेंच भी लगाए हैं, ताकि दर्शक आराम कर सकें।

2. भारतीय संग्रहालय कोष – इलाहाबाद संग्रहालय

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 10 अगस्त, 2013

वित्तपोषक/भागीदार : राष्ट्रीय संस्कृति निधि एवं इलाहाबाद संग्रहालय

परियोजना विवरण : ''भारतीय संग्रहालयों का कोष'' नामक प्रकाशन श्रृंखलाओं का डिजाइन, तैयारी और प्रकाशन

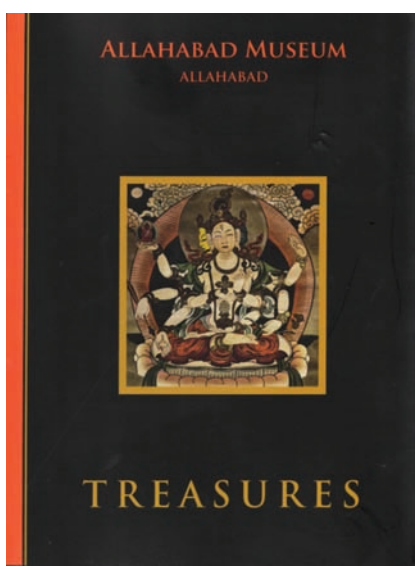

इलाहाबाद संग्रहालय के कोष का प्रकाशन

राष्ट्रीय संस्कृति निधि ''भारतीय संग्रहालयों का कोष'' नामक उच्च गुणवत्ता प्रकाशन श्रृंखलाओं के डिजाइन, तैयारी और प्रकाशन की परियोजना शुरू करने के लिए सहमत है, जो उनके असाणारण संकलनों को दर्शाता है। 5 संग्रहालयों नामतः राष्ट्रीय संग्रहालय, (दिल्ली), भारतीय संग्रहालय (कोलकाता), सी एस एम वी एस, (मुम्बई), सालारजंग संग्रहालय (हैदराबाद) और इलाहाबाद संग्रहालय (इलाहाबाद) ने इस प्रकाशन श्रृखला की छपाई के लिए एनसीएफ के साथ सहयोग करने पर सहमति दिखाई है। एनसीएफ और संबंधित संग्रहालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तीन संग्रहालयों (राष्ट्रीय संग्रहालय, सालारजंग संग्रहालय और सी एस एम वी एस, मुम्बई) के लिए प्रकाशन श्रृंखला पूरी हो चुकी है। वर्ष 2017–18 में इलाहाबाद संग्रहालय निधि पूरी हुई है।

❖ 2017–18 में एनसीएफ की नई पहलें

वित्त वर्ष 2017–18 में दो नई पहलें/परियोजनाएं शुरू की गई हैं :–

1. <u>ए एस आई के अंतर्गत 9 स्मारकों पर चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन</u>

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 19.11.2017

वित्तपोषक/भागीदार : भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल)

परियोजना विवरण : ए एस आई के अंतर्गत निम्नलिखित 9 स्मारकों पर चक्रद्वार के साथ दर्शक प्रबंधन समाधान और ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली (ई–टिकटिंग सुविधा) के साथ समेकन के लिए चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन

(9.3.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन के तहत्)

- लाल किला, दिल्ली
- कुतुबमीनार, दिल्ली
- हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली
- पुराना किला, दिल्ली
- ताजमहल, आगरा
- सूर्य मंदिर, कोणार्क
- एलोरा गुफाएं, औरंगाबाद
- बीबी का मकबरा, औरंगाबाद
- शनिवारवाड़ा, पुणे

2. <u>सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय, वाराणसी (उ. प्र) का उन्नयन</u>

ए एस आई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 31.05.2017

वित्तपोषक/भागीदार : सोनी इंडिया प्रा. लि.

परियोजना विवरण : सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय का उन्नयन

(एन सी एफ – दानकर्त्ता के बीच 30.03.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन के तहत्)

सारनाथ स्थल

कार्य का लक्ष्य है –

- सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षा व्यवस्था (अद्यतन एनविट प्रणाली के साथ उन्नत सी सी टी वी का संस्थापन)

- संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर की तलाशी के लिए सुरक्षा एजेंसी से कार्मिक की नियुक्ति
- सारनाथ के उत्खनित अवशेषों के प्रवेश द्वार पर दर्शकों की तलाशी के लिए सुरक्षा एजेंसी से कार्मिक की नियुक्ति
- संग्रहालय में गृह व्यवस्था कर्मचारी
- सारनाथ के उत्खनित अवशेषों पर गृह व्यवस्था कर्मचारी
- पेड़ों के नीचे दर्शकों के लिए बैठक प्लाज़ा को विकसित किया जाना है।
- विवेचन केन्द्र का उन्नयन
- संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर गढ़ितशेड

अब तक परियोजना के अधीन सारनाथ संग्रहालय और उत्खनित स्थल पर निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

- 05 मॉनीटर सहित 68 क्लोज सक्रिट कैमरे स्थल और संग्रहालय में संस्थापित किए गए हैं (संग्रहालय में 62 + स्थल पर 6)
- सभा भवन का उन्नयन।
- 5 बैठक प्लाजा (स्थल पर 03 + संग्रहालय में 02)।
- संग्रहालय का सुरक्षा कक्ष।

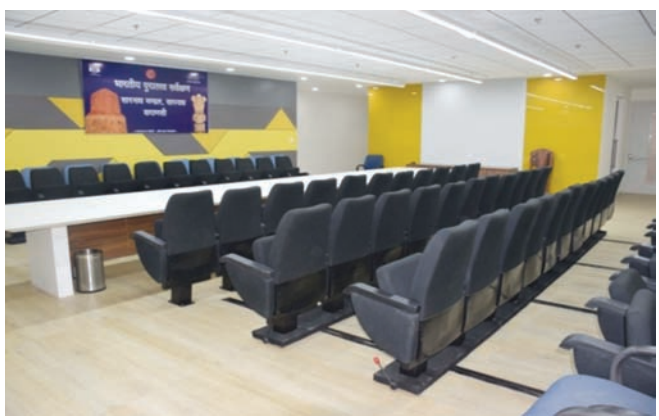

सभा भवन

संग्रहालय का सुरक्षा कक्ष

संस्थापित सीसीटीवी कैमरे की निगरानी इकाई

बैठने का प्लाजा

सारनाथ संग्रहालय की वीथिका

स्थल पर सीसीटीवी कैमरे का संस्थापन

क्र **कॉर्पस निधि**

31 मार्च, 2018 (वित्त वर्ष 2017–18) को राष्ट्रीय संस्कृति निधि की वित्तीय स्थिति

31 मार्च, 2018 को एन सी एफ के पास उपलब्ध कुल राशि रु. 68.86 करोड़ है और इसमें शामिल है :

प्रारंभिक कॉर्पस	:	रु. 19.50 करोड़
कॉर्पस पर ब्याज	:	रु. 27.32 करोड़
परियोजना निधि	:	रु. 22.04 करोड़

(VI) चालू परियोजनाएं : 2017–18

क्र. सं.	परियोजना	एम ओ यू पर हस्ताक्षर	प्रायोजक
1.	कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
2	खजूराहो समूह मंदिर, म.प्र. में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
3	बैशाली, बिहार में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
4	भोगानंदीश्वर मंदिर, बंगलुरू, कर्नाटक में संरक्षण कार्य एवं पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
5.	कन्हेरी गुफा, महाराष्ट्र में पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.3.2001	इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान
6.	जैसलमेर किला, राजस्थान	13.8.2003	मै. विश्व स्मारक निधि
7.	लोधी मकबरा परियोजना, नई दिल्ली	10.1.2006	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
8.	कृष्णा मंदिर, हम्पी, कर्नाटक	12.6.2008	हम्पी प्रतिष्ठान एवं विश्व स्मारक निधि

क्र. सं.	परियोजना	एम ओ यू पर हस्ताक्षर	प्रायोजक
9.	हिडिम्बा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश	15.7.2008	यूको बैंक, चंडीगढ़
10.	आलमबाज़ार मठ परियोजना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	14.10.2008	आलमबाज़ार मठ एवं एन सी एफ
11.	इब्राहिम रौज़ा का बागीचा एवं गोल गुम्बज़, बीजापुर, कर्नाटक	11.12.2009	नौरस ट्रस्ट
12.	मांडू, मध्य प्रदेश में स्मारक समूह का संरक्षण (क) होशंगशाह मकबरा का संरक्षण (ख) तवेली महल में विवेचन केन्द्र (ग) संकेतक	22.12.2009	मै. एन टी पी सी लि.
13.	विक्रमशिला, बिहार में खुदाई स्थल का संरक्षण	22.12.2009	मै. एन टी पी सी लि.
14.	ललितगिरि, उड़ीसा में खुदाई स्थल का संरक्षण	22.12.2009	मै. एन टी पी सी लि.
15.	अहोम स्मारक का संरक्षण, शिवसागर जिला, असम 1. रंग घर 2. करेंगनघर (गढ़गांव) 3. तालातल घर (जॉयसागर) 4. चेरईदेव में मैडेम्स का समूह	29.06.2010	ओ एन जी सी
16.	हज़ारद्वारी किला, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	13.7.2010	भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता
17.	पुराना रंगनाथ मंदिर, पुष्कर (राजस्थान) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) की तैयारी	21.7.2011	वेणुगोपाल मंदिर ट्रस्ट एवं एन सी एफ
18.	भारतीय संग्रहालय की निधि भारतीय संग्रहालय	2012	संबंधित संग्रहालय
19.	श्री भुलेश्वर मंदिर का संस्थापन	26.3.2013	श्रीमती उत्तरादेवी चैरिटेबल एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान
20	ए एस आई स्थल संग्रहालयों, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली का उन्नयन	30.10.2014	भेल (बी.एच.ई.एल.)
21	ए एस आई स्थल संग्रहालय, नालंदा, बिहार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी	16.04.2015	एन सी एफ
22	पुराना किला, दिल्ली	30.03.2017	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (एन बी सी सी)
23	9 स्मारकों में चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन (दिनांक 9.3.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन के तहत)	19.11.2017	भारतीय अवसंरचना वित कंपनी लि. (आई आई एफ सी एल)
24	सारनाथ स्थल एवं संग्रहालय का उन्नयन (दिनांक 30.3.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन के तहत)	31.05.2017	सोनी इंडिया प्रा. लि.

❖ वर्ष 2017–18 की चालू परियोजनाओं का ब्योरा

1. स्मारकों का जीर्णोद्धार और विकास

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीखः 30 मार्च, 2001

वित्तपोषक/भागीदार : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल फाउंडेशन (आई ओ एफ), ए एस आई, एन सी एफ

परियोजना विवरण : निम्नलिखित 5 स्मारकों का जीर्णोद्धार और विकास

एन सी एफ और ए एस आई के जरिए इंडियन ऑयल संरक्षण कार्य को वित्तपोषित करेगा और इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए विश्व–स्तरीय सुविधाएं विकसित करेगा। निम्नलिखित विश्व/राष्ट्रीय विरासत को पर्यटन/जन अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए चुना गया है :

क) कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर, उड़ीसा

ख) मंदिर समूह खजुराहो, मध्य प्रदेश

ग) कोल्हुआ, निकट वैशाली, बिहार

घ) कन्हेरी गुफाएं, महाराष्ट्र

ड.) भोगानन्दीश्वर मंदिर, कर्नाटक

(क) **<u>सूर्य मंदिर परिसर, कोणार्क, उडीसा</u>**

अलंकृत रूप से गढ़ित यह तेरहवीं सदी का हिन्दू का पूजा स्थल सूर्य देवता के विशाल रथ को चित्रित करता है। मंदिर को सात अग्रगामी अश्वों द्वारा खीचे जाने वाले विशेष रूप से अलंकृत पहियों के बारह जोड़ों के साथ एक विशाल सूर्य रथ के रूप में कल्पित किया गया था। इस मंदिर में अनेक सहायक वेदिकाओं के अलावा एक ही धूरी में उच्च शिखर (अनुमानतः 60 मी. से अधिक ऊंचा) के साथ एक गर्भ गृह, एक जगमोहाना और एक अलग नाट मंदिर (नृत्य कक्ष) है। समय के साथ गर्भ गृह और नाट मंदिर का छत गायब हो गया है। नाट मंदिर अन्य उड़िया मंदिरों से अधिक संतुलित वास्तुगत डिज़ाइन को प्रदर्शित करता है। गर्भगृह तीन प्रक्षेपणों में सूर्य देवता के भव्य तस्वीर को प्रदर्शित करता है, जिसे सूक्ष्म मंदिर माना जाता है।

सूर्य मंदिर, कोणार्क

सूर्य मंदिर, कोणार्क की दिवाल पर एक चक्का

इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान द्वारा पर्यटन सुविधाओं का विकास :

- मुख्य सड़क – चित्रित सूर्य मंदिर तक सीधे पहुंच और बेहतर दृष्टि के लिए बाहरी रिंग रोड से प्रवेश द्वार तक भूचित्रित, गली चित्रित सड़क।
- विवेचन केन्द्र – चार प्रस्तुति वीथिकाएं, श्रव्य–दृश्य केन्द्र (बैठने की क्षमता : 200 व्यक्ति), वी आई पी दीर्घा, प्रशासनिक कार्यालय, <u>विवरणिका/स्मारिका</u> पटल, जलपान पटल, प्रसाधन खंड एवं टिकट काउंटर

- बाकी क्षेत्र में भूचित्रण।
- मुख्य पार्किंग – लगभग 60 बसों के लिए पर्याप्त पार्किंग के लिए सुविधाएं, प्रसाधन खंड, प्रतीक्षा दीर्घा, जल बिंदु, जलपान पटल और भूचित्रण।

(ख) **खजुराहो मंदिर समूह** :

खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश, भारत में हिन्दू और जैन मंदिरों का एक समूह है। झांसी से लगभग 175 किलोमीटर दक्षिण–पूर्व में स्थित ये भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में से हैं। खजुराहो, प्राचीन खरज्जुरा वाहक अपनी तरह के विशिष्ट कला प्रतिमान और मंदिर वास्तुकला को प्रस्तुत करता है, जो चंदेलशासन के दौरान संपन्न और सृजनात्मक अवधि होने की गवाही देता है। यह चंदेलशासकों के प्राधिकारी का मुख्य स्थान था, जिन्होंने इसे अनेक तालाबों, मूर्तिकलात्मक भव्यता और वास्तुगत भव्यता के अनेक उच्च मंदिरों से सजाया। स्थानीय परंपरा में 85 मंदिरों की सूची है लेकिन अब केवल परिरक्षण के विभिन्न चरणों में 25 खड़े हैं। चौंसठ योगिनी, ब्रह्मा और महादेव के अलावा, जो ग्रेनाइट से बने हैं अन्य सभी मंदिर महीन दानेदार बलुआ पत्थर, पांडु, गुलाबी या हल्का पीले रंग में है।

खजुराहो

पर्यटन सुविधाओं का विकास :

पश्चिमी समूह में प्रस्तावित सुविधाएं

- दर्शक सुविधा केन्द्र (लगभग 5600 वर्ग मी. के भीतर)
- पर्याप्त बस/कार/2/3 पहिए के साथ सुविधा क्षेत्र (लगभग 2800 वर्ग मी. के भीतर)
- मुख्य सड़क – पहुंच सड़क विकास
- प्रवेश द्वार, पर्किंग, आश्रय, प्रसाधन खंड आदि

पूर्वी समूह में प्रस्तावित सुविधाएं

- पार्किंग क्षेत्र
- प्रवेश द्वार, पार्किंग, आश्रय, प्रसाधन खंड, गार्ड केबिन आदि

दक्षिणी समूह में प्रस्तावित सुविधाएं

- प्रवेश द्वार, आश्रय, प्रसाधन खंड, गार्ड केबिन आदि

(ग) वैशाली, बिहार :

वैशाली आज केला और आम के बागानों और धान के खेतों से घिरा एक छोटा गांव है। लेकिन क्षेत्र की खुदाई ने एक प्रभावी ऐतिहासिक भूतकाल को प्रकाश में लाया है। महाकाव्य रामायण में वीर राजा विशाल की कहानी है, जो यहां शासन करते थे। इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि वज्जियों और लिच्छिवियों के समय में ईसा पूर्व 6ठी सदी में यहां प्रतिनिधियों की निर्वाचित सभा के साथ विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य फला फूला था। और जब मौर्य और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ने गंगा के मैदान पर राजनीतिक सिक्का जमाया, वैशाली व्यापार और उद्योग का केन्द्र था। किंवदंती यह भी है कि भगवान बुद्ध अक्सरहां वैशाली जाते थे और इसके नजदीक स्थित कोल्हुआ में अपना अंतिम उपदेश दिए। इस घटना के स्मरण में सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी सदी में यहां प्रसिद्ध शेर स्तंभ खड़ा किया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के

सौ वर्ष बाद वैशाली ने दूसरे विशाल बौद्ध परिषद की मेज़बानी की। इस घटना की याद में यहॉ दो स्तूप बनाए गए।

स्तूप, वैशाली

कोल्हुआ में पर्यटन सुविधाओं का विकास :

कोल्हुआ विवेचन केन्द्र पर प्रस्तावित सुविधाएं :

विवेचन केन्द्र में मुख्यतः निम्नलिखित को शामिल करते हुए केवल 60 मी. ग 60 मी. भूमि पर एक मंजिला भवन में निम्नलिखित शामिल है :

- श्रव्य–दृश्य केन्द्र
- प्रदर्शन वीथिकाएं, कार्यालय खंड एवं स्वागत कार्यालय
- टिकट काउंटर
- वी आई पी दीर्घा, शिशु देखभाल कक्ष, प्राथमिकता चिकित्सा केन्द्र
- जलपान गृह (फूड कोर्ट) एवं पेयजल स्थल
- स्मारिका की दुकान, महिला/पुरूष प्रसाधन खंड
- विद्युतीकरण, यांत्रिक एवं नलसाजी, संकेतक, बैठने का स्थान (बेंच) आदि
- सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि मेटल डिटेक्टर, सी सी टी वी आदि।

आस–पास के क्षेत्रों में विभिन्न सूचना संकेत रखने सहित बैठने का स्थान/वर्षा से बचाव स्थल, आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण, यांत्रिक एवं नलसाजी कार्य होना है।

अब तक सभी सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं, केवल फीनिशिंग और सफाई का काम चल रहा है। प्रदर्शनी वीथिका का काम हो चुका है जहॉ फर्नीचर शीघ्र ही लगा दिया जाएगा।

मुख्य भवन (प्रशासनिक खंड) – कोल्हुआ (वैशाली)

जलपान गृह/वीथिका/श्रव्य दृश्य खंड

जलपान गृह/विभिन्ता/श्रव्य दृशम खण्ड

(घ) कन्हेरी गुफाएं, मुंबई :

कन्हेरी गुफाएं कटे हुए चट्टान के स्मारकों का समूह है, जो मुंबई के पश्चिम भाग में बोरीवली के उत्तर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों का कन्हेरी, कान्हासेला, कृष्णागिरि, कान्हागिरि प्रमुख बौद्ध केन्द्र था। कन्हेरी थाणे से छह मील दूर साल्सेट द्वीप में स्थित है। गुफाओं की खुदाई समुद्र तल से 1550 फीट ऊंची वोल्केनिक ब्रेसिया पहाड़ियों में की गई हैं। कन्हेरी एकल पहाड़ी में सबसे बड़ी संख्या में खुदी गुफा के रूप में प्रसिद्ध है। पश्चिम में बोरीवली स्टेशन है और छोटी नदी के पार अरब सागर है।

गुफा 3, कन्हेरी गुफाएं, मुंबई

पर्यटन सुविधाओं का विकास :

कन्हेरी गुफाओं में और इसके आसपास प्रस्तावित विभिन्न तरह की सुविधाओं का विकास नीचे दिया गया है :

गुफा से सटे खुले क्षेत्र के लिए

प्रवेश द्वार पर दर्शक सुविधाएं

- टिकट काउंटर
- स्मारिका दुकान एवं नारियल काउंटर आदि
- मुख्य प्रवेश द्वार और टिकट काउंटर का नवीकरण/उन्नयन

गुफाओं से सटी भूमि

- जलपान गृह
- वर्षाशरण स्थल
- प्रसाधनों का नवीकरण
- भूचित्रण आदि
- बैठने का स्थान (बेंच)

मौजूदा कक्ष ढांचा में विवेचन केन्द्र

पर्यटक की सुरक्षा और सूचना से संबंधित अन्य कार्य

- संकेतक
- सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि मेटल डिटेक्टर, सी सी टी वी आदि।
- ध्वनिरहित जेनरेटर सेट
- पेयजल सुविधा (जलापूर्ति व्यवस्था का पता लगाना है, ट्यूब वेल आदि)
- रैम्प, रैलिंग, जहां भी अपेक्षित हो, बनाना।

(ड.) बंगलोर के निकट भोगानंदीश्वर मंदिर :

9वीं से 15वीं सदी के बीच बना भोगानंदीश्वर मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से द्रविड शैली के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से

भोगानंदीश्वर मंदिर

एक है। दुहरे महाद्वार के साथ 112.8 मी. ग 76.2 मी. क्षेत्र में अपने ही प्राकार से घिरा इस परिसर में भोगानंदीश्वर (उत्तर) और अरूणाचलेश्वर (दक्षिण) के रूप में शिव को समर्पित जुड़वां मंदिर है। दोनों के बीच एक छोटा मंदिर है। भोगानंदीश्वर मंदिर बंगलोर ग्रामीण जिला में नंदी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह सप्ताहांत में जाने वाला एक अच्छा स्थान है। इस पहाड़ी के आसपास टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित नंदी किला सहित पुराना जंगल जैसे अनेक रूचिपूर्ण स्थल है।

पर्यटन सुविधाओं का विकास :

भोगानंदीश्वर मंदिर परिसर के आसपास की प्रस्तावित सुविधाओं का विकास निम्नवत है :

- पार्किंग (30–40 वाहन) के साथ दर्शक प्लाजा, दर्शक सुविधाएं, किओस्क, विवेचन केन्द्र, जनसुविधाएं, स्मारिका दुकान और छोटा जलपान गृह
- पूरे परिसर के लिए संकेतक का विकास
- 10 वर्ष के लिए मठ मंडप एवं प्रचालन सहित मंदिर परिसर की सजावट
- पर्यावरण सुधार एवं भूचित्रण कार्य

2. जैसलमेर किला, राजस्थान का संरक्षण और जीर्णोद्धार

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 13 अगस्त, 2003

वित्तपोषक/भागीदार : विश्व स्मारक निधि, यू एस ए, ए एस आई, एन सी एफ

परियोजना विवरण : जैसलमेर

किले के भीतर सांस्कृतिक विरासत संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन योजना निर्माण।

जैसलमेर किला, राजस्थान

राजस्थान राज्य में सबसे प्राचीन चित्तौड़गढ़ के बाद जैसलमेर किला दूसरा सबसे प्राचीन किला 1156 ई. में निर्मित किया गया था।

यह अपरिमित ऐतिहासिक विशिष्ट शहर है क्योंकि यह मिस्र, अरब, पर्शिया और भारत के बीच व्यापार सम्पर्क का भाग होता था।

ए एस आई और डब्ल्यू एम एफ ने किले के लिए खतरनाक कारकों का विस्तृत अध्ययन शुरू करने के लिए बाम्बे कोलाबोरेटिव को नियुक्त किया है। इसके साथ ही भारतीय भू सर्वेक्षण को सभी भू भौतिक प्राचलों का अध्ययन करने के लिए अधिकृत किया जिनका असर किले पर पड़ सकता है और जांच की मदद के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए मृदा परीक्षण करने के लिए एम. के. स्वॉइल्स को अधिकृत किया गया था। व्यापक अध्ययन और मृदा जांच विश्लेषण

तथा जी एस आई के सर्वेक्षण, किले की ढलानों के कुछ क्षेत्रों में लगातार गतिविधि का संकेत करते हैं। यह अस्थिरता बड़े पैमाने पर अपर्याप्त जल प्रबंधन प्रणाली के कारण है जो नींव के पत्थरों को क्षति पहुंचा रही है। स्थल प्रबंधन योजना में संरक्षण द्वारा तैयारी की गई है। इसलिए, किले के संरक्षण और परिरक्षण की योजना बनाई गई।

3. लोधी मकबरा परियोजना, नई दिल्ली

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 10 जनवरी, 2006

वित्तपोषक/भागीदार : भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. /ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : लोधी मक़बरा, नई दिल्ली का संरक्षण एवं परिरक्षण।

लोधी मक़बरा, दिल्ली

लोधी उद्यान में स्थित स्मारक पूर्व मुग़ल कालीन इमारतों के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और शहर के भीतर एक निशान की तरह खड़े हैं। लोदी का मकबरा प्रसिद्ध लोदी उद्यान के बीच में स्थित है।

लोदी मकबरा सिकंदर लोदी को दफन किया गया है। लोदी मकबरा के साथ लोदी उद्यान के भीतर स्थित अन्य समाधि में मुहम्मदशाह का मकबरा, शीश गुंबद और बड़ा गुंबद शामिल है। सिकंदर लोदी का मकबरा एक अष्टकोणीय मकबरा है, जो अपनी सुंदर मुगल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि इसमें विशिष्ट अष्टकोण योजना, गहरा बरांडा और लंबा मेहराब के साथ सईद प्रकार की वास्तुकला शैली का पुनरारंभ अभिव्यंजना है। मकबरा दुहरे गुंबदशीर्ष से विभूषित है, जो घिरे हुए क्षेत्र के भीतर सगौरव खड़ा है, जिसमे दक्षिण की ओर खुलने वाले विशाल दरवाजे से प्रवेश किया जाता है। भारत की राजधानी में निर्मित पहला उद्यान मकबरा, लोदी मकबरा प्रारंभिक 16 वीं सदी का है।

4. कृष्ण मंदिर, हम्पी, कर्नाटक का विकास

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 12 जून, 2008

वित्तपोषक/भागीदार : हम्पी फाउण्डेशन/विश्व स्मारक निधि/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : कृष्ण मंदिर, हम्पी, कर्नाटक का विकास।

कृष्ण मंदिर, हम्पी

इस मंदिर का निर्माण राजा (कृष्णदेव राय) ने 1513 ई0 में कराया था। इस मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्ति बालकृष्ण (भगवान कृष्ण का शिशु रूप) की प्रतिमा थी। यह मूर्ति अब राज्य संग्रहालय, चेन्नई में प्रदर्शित की गई है। यह ऐसे बहुत कम मंदिरों में से एक है जिनमें मीनार की दीवारों पर महागाथाएं उत्कीर्ण हैं। यह सचमुच विजयनगर युग के मंदिर का एक सही नमूना है।

कृष्णदेव राय द्वारा विजय और 16 फरवरी 1515 को इस मंदिर की प्रतिष्ठा को वर्णित करते हुए अभिलेख इस मंदिर के सामने शिलाखंड पर पाया गया है। पूर्व गोमुरम के वृहत्

ढ़ॉचे का केवल एक भाग मौजूद है, लेकिन इसके पश्चिम भाग पर कवच के साथ योद्धाओं, जीवंत घोड़ों एवं हाथियों के सूक्ष्म पलस्तर चित्र मौजूद हैं। यह संभवतः कृष्णदेव राय के उड़ीसा अभियान से जुड़े युद्ध के दृश्य को प्रदर्शित करता है।

प्रवेश द्वार के भीतरी भाग पर भगवान के दस अवतारों को प्रदर्शित करते हुए पौराणिक पशुओं पर खड़ी और फलक से भरी चित्रकारी पकड़ी हुई सुंदरता से गढ़ित अप्सराएं प्रदर्शित हैं। अन्य बड़े मंदिर परिसरों की तरह कृष्णपुर नामक उप–कस्बा इस मंदिर के आसपास विकसित है। सामने का बाजार अब भरा–पुरा धान का खेत है।

5. हिडिम्बा देवी मंदिर, मनाली, हिमाचल प्रदेश

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 15 जुलाई, 2008

वित्तपोषक/भागीदार : यूको बैंक/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : हिडिम्बा देवी मंदिर में पर्यटक सुविधाओं का सुधार

मनाली (हिमाचल प्रदेश) में हिडिम्बा देवी मंदिर

हिडिम्बा देवी मंदिर मनाली में स्थित है जिसे **हिडिम्बा मंदिर** के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत की एक देवी को समर्पित प्राचीन गुफा मंदिर है। यह मंदिर हिमालय की तलहटी में देवदार वन से घिरा हुआ है। यह मंदिर जमीन से निकली एक बड़ी चट्टान के ऊपर बना है, जिसकी पूजा एक देवी के रूप में की जाती थी। इस मंदिर का निर्माण 1553 में हुआ था।

हिडिम्बा देवी मंदिर में बारीक नक्काशी वाले लकड़ी के दरवाजे हैं और मंदिर के ऊपर लकड़ी का 24 मीटर ऊंचा 'शिखर' या मीनार है। इस मीनार में लकड़ी के पट्टों से ढकी हुई तीन चौकोर छतें हैं और चोटी पर चौथी शंक्वाकार छत पीतल की है। मुख्य द्वार की नक्काशी का मुख्य विषय पृथ्वी देवी दुर्गा है। काम के क्षेत्र को संशोधित करने के लिए समझौता ज्ञापन के शुद्धि पत्र पर ए एस आई, एन सी एफ और यूको बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं।

6. आलमबाज़ार मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 14 अक्तूबर, 2008

वित्तपोषक/भागीदार : आलमबाज़ार मठ/एन सी एफ

परियोजना विवरण : आलमबाज़ार मठ का नवीकरण, पुनर्निर्माण।

आलमबाज़ार मठ, कोलकाता

आलमबाज़ार मठ की स्थापना फरवरी, 1892 ई. में हुई थी। यहां पर स्वामी अभेदानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णानंद, गौरीमा तथा अन्य शिष्य एकत्र हुए और ध्यान योग, धार्मिक अनुष्ठान, लोक कल्याण के कार्य एवं पूजा–पाठ में आध्यात्मिक जीवन गुजारे।

इस परियोजना के दो घटक हैं :

- आलमबाज़ार मठ का जीर्णोद्धार, नवीकरण और परिरक्षण
- मौजूदा स्कूल, औषधालय इत्यादि का पुनर्वास, दूसरे स्थान पर ले जाना/सुधार।

7. इब्राहिम रौज़ा और गोल गुम्बद, बीज़ापुर, कर्नाटक के बागों को हरा–भरा करना

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 11 दिसम्बर, 2009

वित्तपोषक/भागीदार : मैसर्स नौरस न्यास/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : इब्राहिम रौज़ा और गोल गुम्बद, बीज़ापुर के बागों को हरा–भरा करना

गोल गुम्बद, बीज़ापुर

कर्नाटक राज्य के बीज़ापुर जिले में स्थित मुहम्मद आदिलशाह (1626–56 ई.) का मक़बरा, गोल गुम्बद भारतीय–इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इस भवन में एक विशाल वर्गाकार कमरा है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 50 मी. (160 फुट) की है और इसके ऊपर 37.9 मी. (124 फुट) व्यास का विशाल गुम्बद स्थित है जो इसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बदाकार भवन बनाता है। गोल गुम्बद की सबसे दिलचस्प और उल्लेखनीय विशेषता इसकी ध्वनि प्रणाली है। इस इमारत के भीतर मुहम्मद आदिलशाह, उनकी दो पत्नियों, उप पत्नी, पुत्री और पौत्र की कब्रें हैं।

गोल गुम्बद परिसर में एक उत्कृष्ट जल आपूर्ति प्रणाली भी है जैसा कि जल कुण्डों, फब्बारों सह कुण्ड, लिफ्ट सह कुंड और कुंओं से प्रतीत होता है।

ये बाग स्मारक की डिजाइन के अभिन्न भाग थे, जैसा कि बीजापुर के बाहर स्थित जहां बेग़म (आदिलशाह की पत्नी) के अधूरे मक़बरे में प्रदर्शित किया गया है। मूल बागों को समझने का महत्व दिखाई पड़ने से कहीं आगे तक जाता है जैसा कि इब्राहिम रौज़ा जिसका समय–समय पर बाढ़ से नुकसान होता है और गोल गुम्बद जहां लॉन में पानी देने के कारण इमारत के तलघर में नमी आने से रिसाव, में प्रदर्शित होता है।

इस परियोजना का उद्देश्य इस इमारत और बाग के बीच पुनः संबंध को यथासम्भव स्थापित करना है।

परियोजना के उद्देश्य –

- समकालीन उपयोगों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस ऐतिहासिक काल के भूपरिदृश्य संबंधी भावना औरशैली को अपनाने के लिए इब्राहिम रौज़ा और गोल गुम्बद के बागों को हरा–भरा करना।
- इस अनुभव से ऐसी विधि का निर्माण करना जिसे इस क्षेत्र के अन्य बागों पर लागू किया जा सके। इसमें एक दल का गठन करना भी शामिल है जो इस युग के बागों का अध्ययन, विश्लेषण और संरक्षण कर सके।

8. राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 22 दिसम्बर, 2009

वित्तपोषक/भागीदार : मैसर्स एन टी पी सी/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : निम्नलिखित स्मारकों का संरक्षण और विकास :

- मांडू के स्मारक समूह
- ललितगिरि/धौली
- विक्रमशिला के उत्खनित क्षेत्र
- माण्डू के स्मारक समूह धार से लगभग 42 कि.मी. दक्षिण–पूर्व तथा मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल से 300 कि.मी. दक्षिण–पश्चिम में स्थित है। किले की दीवार सहित 61 स्मारक ए एस आई द्वारा रक्षित हैं तथा इन्हें राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है।

माण्डु में निम्नलिखित परियोजनाओं की पहचान की गई थी :

(क) होशंगशाह के मकबरे का संरक्षण और पुनर्स्थापन

(ख) तावेरी महल में विवेचन केन्द्र

(ग) उपयुक्त संकेतक

पूर्वी भाग का सामान्य दृश्य (संरक्षण के दौरान)

- **ललितगिरि**

प्रथम शताब्दी ई. का सबसे पुराना बौद्ध परिसर है जो राजसी अवशेषों के बीच स्थित है, यह अतीत की गौरवमयी विरासत का साक्ष्य है। इस ग्रामीण क्षेत्र में ईंटों से निर्मित एक विशाल मठ, चैत्य हॉल के अवशेष, कई व्रतानुष्ठित स्तूप और पत्थर के नवीकृत स्तूप हैं।

स्तूप

प्रवेश द्वार से स्तूप तक सड़क का निर्माण

स्थल पर संकेतक

- **विक्रमशिला विश्वविद्यालय**

  यह पाल वंश के दौरान भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध अध्ययन केन्द्रों में से एक था, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में तथाकथित कमी आने के प्रतिक्रियास्वरूप विक्रमशिला की स्थापना राजा धर्मपाल (783 से 820 ई.) ने कराय थी। विक्रमशिला बिहार में भागलपुर से लगभग 50 कि.मी. पूर्व दिशा में स्थित है।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थल, बिहार

9. अहोम स्मारक, असम का संरक्षण

समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि : 29 जून, 2010

वित्तपोषक/भागीदार : ओ एन जी सी/एन सी एफ

परियोजना का विवरण : असम के शिव सागर जिले में स्थित निम्नलिखित चार अहोम स्मारकों का नवीकरण और अनुरक्षण :

- रंग घर
- कारेंग घर (गढ़गांव)
- तलातल घर (जयसागर)
- असम के शिवसागर जिले में चेराई देव स्थित मैदम समूह (कब्रगाह)

तलातल घर, रंगपुर, असम

शिवसागर, भगवान शिव का सागर, भारत के असम राज्य के शिवसागर जिले में गुवाहाटी से लगभग 360 कि.मी. (224 मील) पूर्वोत्तर में एक कस्बा है। अपने इतिहास, संस्कृति और तालाबों के अलावा यह अहोम महलों और स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस स्थल के समीप ही ओ एन जी सी संयंत्र है।

क्षेत्रीय निदेशक, पूर्व और उसके दल के ज़रिए ए एस आई द्वारा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

10. <u>हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल</u>

समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि : 13 जुलाई, 2010

वित्तपोषक/भागीदार : भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता एवं एन सी एफ

परियोजना का विवरण : मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी महल संग्रहालय का विकास एवं उन्नयन

हजारद्वारी महल नवाब नाज़िम हुमायूं जाह के समय नव–शास्त्रीय शैली में निर्मित 41 एकड़ क्षेत्र में फैली तीन मंजिली इमारत है। इस महल की योजना समकालीन वास्तुकार कर्नल मैक्लेयोड डंकन ने 1829 से 1837 के बीच बनाई और कार्यान्वित की थी। इस आलीशान महल के भवन की मुख्य विशेषता है इसके सममितीय मोहरे (अग्रभाग) और डोरिक स्तम्भों पर सधे हुए त्रिभुजाकार त्रिकोणिका द्वारमण्डप तथा उत्तरी दिशा में स्थित आलीशान सीढ़ियों से

इसके ऊपर चढ़ा जा सकता है। हजारद्वारी महल वर्ष 1977 में भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और इसके अन्दर बने संग्रहालय को 1985 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपने पास ले लिया था, और काम शुरू किया गया है।

हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल

11. भुलेश्वर मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 26 मार्च, 2013

वित्तपोषक/भागीदार : श्रीमती उत्तरादेवी चैरिटेबल एंड रिसर्च फाउंडेशन/ए एस आई/एन सी एफ

परियोजना विवरण : भुलेश्वर मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र का संरक्षण एवं विकास

भुलेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है, जो 14वीं शताब्दी में मलशिरास गांव में चूना मोर्टार का प्रयोग करके निर्मित किया गया था। इसे चूना मसाला का इस्तेमाल करके पत्थर से बनाया गया है। यह ए एस आई के अंतर्गत राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। मंदिर के सम्मुख एक हाल अथवा सभामण्डप का निर्माण बाद में किया गया था, जबकि मंदिर के बाहरी भाग में सुंदर गढ़ित पैनल हैं।

परियोजना एस. ए. मुंबई परिक्षेत्र, ए एस आई द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

भुलेश्वर मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र

12. <u>स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली का उन्नयन</u>

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख : 30 अक्तूबर, 2014

वित्तपोषक/भागीदार : भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल)

परियोजना विवरण : स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली का उन्नयन

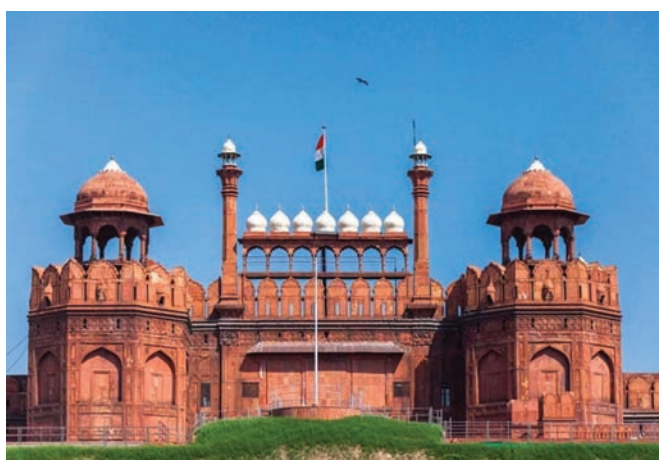

लाल किला, दिल्ली

परियोजना का उद्देश्य दर्शक सुविधाएं, संग्रहालय दुकान, संग्रहालय शिक्षा कार्यक्रमों सहित संग्रहालय अवसंरचना का उन्नयन और प्रदर्श, भंडार और संग्रहालय संकलन की

प्रस्तुति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है।

स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का दर्शन इस संग्रहालय को वस्तुतः आदर्श राष्ट्रीय संग्रहालय बनाना है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी को प्रदर्शित करे और इसे अलग से शीर्ष सांस्कृतिक स्थल बनाना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को कह सके। यह कल्पना की गई है कि संग्रहालय को पुनर्स्थापित और उन्नयन करने की यह पहल इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनाएगा और इसके डिजाइन और कथन के जरिए आगंतुक को उसकी जानकारी देना है, जो आधुनिक भारतीय इतिहास में इसके स्थान को अंकित करेगा तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को ग्रहण करेगा जो स्वंप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की आधारशिला के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

संग्रहालय लालकिला के ऐतिहासिक प्राकार के भीतर स्थापित है, जो न केवल एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है वरन् इसका इतिहास में मुग़लों के राजधानी के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थल ने 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और आज भी वह स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं।

संग्रहालय उन्नयन योजना के जरिए यह कल्पना की गई है कि इस स्थल का उपचार सावधानी से और संशोधित डिज़ाइन अनुभूति से की जाएगी जो वर्तमान संग्रहालय को उन्नत करने और नवीकृत करने हेतु और इसका उसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय की स्थिति के रूप में प्रसार करने और इसे दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के तुल्य बनाने के लिए इतिहास के प्रति संवेदनशीलता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए स्वस्थ सम्मान को संतुलित करे।

13. <u>''पुराना किला'', नई दिल्ली का संरक्षण, विकास और अनुरक्षण</u>

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 30.03.2017

वित्तपोषक/भागीदार : राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (एन बी सी सी)

परियोजना विवरण : पुराना किला, नई दिल्ली का संरक्षण, विकास और अनुरक्षण

पुराना किला, नई दिल्ली में परियोजना के लिए ए एस आई – एन सी एफ – एन बी सी सी के बीच समझौता ज्ञापन पर 30.03.2017 को हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य स्मारक क्षेत्र का विकास, स्मारक एवं संग्रहालय का रखरखाव, स्मारकों की बेहतर प्रस्तुति एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विकास और पर्यटक से संबंधित विभिन्न सुविधाओं का विकास और इसके परिप्रेक्ष्य सहित स्मारक और इसके आसपास के इतिहास, विरासत मूल्य को उजागर करना है।

एन बी सी सी ''पुराना किला, नई दिल्ली का संरक्षण, विकास और अनुरक्षण'' की परियोजना के समर्थन के लिए सहमत है और अपने सी एस आर के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 14.35 करोड़ रु. तक की निधि प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इसे समझौता ज्ञापन के पक्षों के परस्पर निर्णय पर और अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पुराना किला, दिल्ली

14. ए एस आई के अंतर्गत 9 स्मारकों पर चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 19.11.2017

वित्तपोषक/भागीदार : भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल)

परियोजना विवरण : ए एस आई के अंतर्गत 9 स्मारको पर चक्रद्वार/टिकट प्रणाली का संस्थापन (9.3.2016 को हस्ताक्षरित प्रछत्र संगम ज्ञापन के तहत्)

सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और रक्षण शुरू करने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ), संस्कृति मंत्रालय और भारतीय अवसंरचना वित कंपनी लि. (आई आई एफ सी एल) के बीच 9 मार्च, 2016 को एक प्रछत्र समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। बाद में निम्नलिखित ए एस आई स्मारकों पर चक्रद्वार के साथ दर्शक प्रबंधन समाधान प्रदान करने और ऑनलाइन टिकट प्रणाली (ई–टिकट सुविधा) के साथ समेकन के लिए एन सी एफ – ए एस आई – आई आई एफ सी एल के बीच एक त्रिपक्षीय संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआः

- लाल किला, दिल्ली
- कुतुबमीनार, दिल्ली
- हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली
- पुराना किला, दिल्ली
- ताजमहल, आगरा
- सूर्य मंदिर, कोणाक्र
- एलोरा गुफाएं, औरंगाबाद
- बीबी का मकबरा, औरंगाबाद
- शनिवारवाड़ा, पुणे

चक्रद्वार टिकट प्रणाली को भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल) की कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) पहल के तहत् वित्तपोषित किया जा रहा है। यह प्रणाली निश्चित रूप से स्मारक परिसरों के भीतर दर्शकों को सुगम प्रवेश प्रदान करेगा। यह व्यवस्था पहले की प्रवेश व्यवस्था की तुलना में बहुत ही क्रमिक और बाधामुक्त है और इसमें कम समय लगता है।

कुतुब मीनार प्रवेश द्वार

कुतुब मीनार, नई दिल्ली के प्रवेश बिंदु पर चक्रद्वार टिकटिंग

4. चालू अल्पकालिक परियोजनाएं

एन सी एफ के कथित उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के पुनर्वास के लिए कलात्मक, वैज्ञानिक और तकनीकी समस्याओं पर अध्ययन एवं अनुसंधान आयोजित करना,
- सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में स्टाफ सदस्यों और व्यावसायिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना,
- सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रिकार्डिंग के मौखिक और अन्य अमूर्त्त रूपों का संवर्धन करना,
- मूर्त्त एवं अमूर्त्त विरासत के संरक्षण और रक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से निधियों के सृजन के अलावा, एन सी एफ ने विरासत परियोजनाओं में संस्थानों को सहायता भी दी है। इस श्रेणी में एन सी एफ ने निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं :

1. रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर, पुष्कर (राजस्थान) के लिए वृहत् परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) की तैयारी

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 14.10.2014

वित्तपोषक/भागीदार : एन सी एफ/मै. द्रोहर (परामर्शदाता)

परियोजना विवरण : श्री रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर पुराना रंगजी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह वर्ष 1844 में बना पुष्कर में सबसे पुराना द्रविड़शैली का मंदिर है।

श्री रघुनाथ वेणुगोपाल मंदिर द्रविड़ मंदिर वास्तुकला और राजस्थान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट संयोजन है और इसमें चूना मसाला से बना सड़क और पुराने कलात्मक प्रतिमान के साथ आंतरिक मंदिर के चित्रित दीवारों सहित राजस्थानशैली में सज्जित और विशाल प्रवेश द्वार और बाहरी परिक्रमा पथ है। मंदिर का आवासीय परिसर 90,000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है।

दक्षिण भारतीय वास्तुकलाशैली और राजस्थानीशैली में निर्मित मंदिर परिसर धार्मिक और मिथक कहानियों में चित्रकारी के साथ अलंकृत डिज़ाइन से भरा–पड़ा है।

दीवारों पर शेखावती क्षेत्र का महत्वपूर्ण भित्ति चित्र परम्परा अंकित है। भित्ति चित्र का क्षरण हो रहा है और इसके परिरक्षण और संरक्षण हेतु तुरंत ऐहतियात बरतने की आवश्यकता है।

स्थिति के मूल्यांकन के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट अपेक्षित है।

एन सी एफ की लघु अनुदान योजना के तहत् पुष्कर राजस्थान स्थित पुराना रंगजी मंदिर के संरक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु एन सी एफ और मै. द्रोहर (परामर्शदाता) के बीच संगम ज्ञापन पर 14.10.2014 को हस्ताक्षर किया गया है।

पुराना रंगजी मंदिर, पुष्कर

मंदिर में भित्ति चित्र, पुष्कर

2. नालंदा स्थल संग्रहालय, बिहार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

मंदिर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : 16 अप्रैल, 2015

वित्तपोषक/भागीदार : नेशनल कल्चर फंड/ मै. एस्ट्रो लिंक्स (परामर्शदाता)

परियोजना विवरण : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मै. एस्ट्रो लिंक्स (परामर्शदाता) द्वारा तैयार किया जा रहा है।

डी पी आर का उद्देश्य स्थल का अध्ययन है और यह उपाय सुझाना है कि कैसे संरक्षण हस्तक्षेप शुरू करके स्थल के महत्व को बढ़ाया जाए, जो न केवल इसके महत्त्व की रक्षा करेगा वरन् इसके को समग्र एवं प्रामाणिक अनुभव भी प्रदान करेगा। नालंदा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रतिवर्ष औसत 2.5 लाख आगंतुकों के साथ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके महत्व को अच्छी तरह विवेचित किया जाए।

वर्तमान स्थल संग्रहालय संभवतः खुदाई स्थल पर पुरातत्वविदों के कार्य के लिए 1915 में एक अतिथि गृह के रूप में बनाया गया था। इसे 1917 में नालंदा तथा राजगीर से उत्खनित पुरावस्तुओं को रखने के लिए संग्रहालय में परिवर्तित किया गया था। इसके बाद इसे 1956 में नवीकृत किया गया। केवल 390 वर्ग मी. के कवरेज क्षेत्र के साथ यह संग्रहालय भवन निश्चित रूप से 13,463 कला तथ्यों के लिए पर्याप्त नहीं है। भवन के भौतिक ढांचे को संरक्षित करने और संग्रहालय के मूल तंतु की रक्षा हेतु केवल न्यूनतम हस्तक्षेप की आवश्यकता है। एनेक्सी खंड प्रमुख रूप से दर्शक विवेचन और सुविधा को पूरा करेगा। इसमें

नालंदा स्थल

नालंदा स्थल

नालंदा स्थल

टिकट काउंटर, विवेचन केन्द्र, अमानती सामान घर, संग्रहालय दूकान, बाल शिक्षा क्षेत्र आदि जैसा कार्य होगा।

लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत 31 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। लेखा परीक्षा 2020–21 तक की अवधि के लिए सौपी गई है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय संस्कृति निधि प्रबंधन की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करनी है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानदंड और प्रगटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी शामिल है। विधि, नियम एवं विनियम (मालिकाना एवं विनियामक) के अनुपालन और दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/कैग के लेखा परीक्षा रिपोर्टों के जरिए सूचित की जाती है।

3. हमने सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक मिथ्या विवरणों से मुक्त हैं, लेखा परीक्षा का नियोजन और निष्पादन करते हैं। लेखा परीक्षा मेंशामिल है : जांच आधार पर परीक्षण, राशियों का समर्थनकारी साक्ष्य और वित्तीय विवरण का प्रगटन। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और किए गए पर्याप्त आकलनों का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

   i. हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य थे।

   ii. इस रिपोर्ट द्वारा डील किया गया तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लेखाओं के सामान्य फॉर्मेट में तैयार किया गया है।

   iii. हमारी राय में राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहियां और अन्य संगत रिकार्ड रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

   iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क. 1 देयताएं

क.1. 1 चालू देयताएं एवं प्रावधन (अनुसूची–7) रु. 0.35 करोड़

क.1.1.1 चौधरी चरण सिंह की जन्मशताब्दी वर्ष के आयोजन के लिए वर्ष 2002–03 और 2003–04 के दौरान प्राप्त रु. 1.01 करोड़ की अव्ययित राशि मंत्रालय को मई, 2014 में लौटाई गई। तथापि, एन सी एफ ने अव्ययितशेष पर अर्जित ब्याज की राशि को वापस नहीं किया। इस खाते पर अर्जित ब्याज को भी वार्षिक लेखे में अलग से नहीं दर्शाया गया।

इसका परिणाम उक्त सीमा तक देयता की कम अभिव्यक्ति और कॉरपस निधि की अधिक अभिव्यक्ति हुई। इस मामले को पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था, तथापि एन सी एफ द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.1.1.2 अनुसूची–7 के अनुसार रु. 7.42 लाख की राशि राष्ट्रीय संग्रहालय को देय दर्शाई गई और रु. 4.62 लाख की राशि प्राप्त अग्रिमशीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई। तथापि, इसका अवधि–वार ब्यौरा और देयता को समाप्त नहीं करने का कारण लेखा परीक्षा को नहीं दिया गया।

इन अव्ययित शेषों पर प्राप्त ब्याज को वार्षिक लेखे में अलग से नहीं दर्शाया गया। इसका परिणाम इन शेषों पर अर्जित ब्याज की राशि तक देयता की कम अभिव्यक्ति और कॉरपस कोष की अधिक अभिव्यक्ति हुई। इस मामले को पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था, तथापि कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.2 परिसंपत्तियां :

क.2.1 नियत परिसंपत्तियां (अनुसूची–8) रु. 0.20 करोड़

क.2.1.1 एन सी एफ ने आई एन ए, नई दिल्ली में नए कार्यालय में फर्नीचर एवं साजो–सामान प्रदान करने के लिए जून, 2014 के दौरान के.लो.नि.वि. को रु. 25.00 लाख की राशि निर्मुक्त की। इस राशि को नियत परिसंपत्तियों के जोड़ के रूप में दर्शाई गई और 2014–15 के दौरान रु. 2.50 लाख की ह्रास प्रभारित की गई। चूंकि काम पूरा नहीं हुआ, इसे कार्य चल रहा है के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। इसका परिणाम रु. 22.50 लाख राशि की नियत परिसंपत्तियों की अधिक अभिव्यक्ति, कार्य चल रहा है कि 25.00 लाख रु. के रूप में कम अभिव्यक्ति और रु. 2.50 लाख तक कॉरपस कोष की कम अभिव्यक्ति हुई। इस मामले को पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी सूचित किया गया था, तथापि कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.2.1.2 एन सी एफ ने फर्नीचर एवं साजो–सामान प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 2015 में सी पी डब्ल्यू डी को रु. 18.32 लाख की राशि का भुगतान किया। इस राशि को वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखे में राजस्व व्यय (मरम्मत एवं अनुरक्षण) के रूप में बुक किया गया। चूंकि किया गया खर्च पूंजी प्रकृति का था, उसे व्यय (प्रशासनिक व्यय) के बजाय नियत परिसंपत्तियों में बुक किया जाना चाहिए था। इसका परिणाम रु. 18.32 लाख तक नियत परिसंपत्तियों की कम अभिव्यक्ति और व्यय की अधिक अभिव्यक्ति हुई। इस मामले को पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी उठाया गया था, लेकिन कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.2.2 चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि (अनुसूची–11) – रु. 69.01 करोड़

क.2.2.1 रु. 17.43 करोड़ की राशि को 'चालू परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत नियत परिसंपत्ति – परियोजनाओं के रूप में दर्शाया गया है, जबकि उसे लेखाओं के सामान्य फॉर्मेट के अनुसार अनुसूची–9 में 'उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि' के रूप में दर्शाना जाना चाहिए था। इसका परिणाम रु. 17.43 करोड़ की चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिम की अधिक अभिव्यक्ति और इसी राशि की उद्दिष्ट निधियों से निवेश की कम अभिव्यक्ति हुई। इसे पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था, लेकिन उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख. सामान्य

ख.1 तुलन पत्र की अनुसूची–11 के अनुसार रु. 5961.35 लाख (रु. 1742.68 लाख परियोजना खाते से और रु. 4218.67 लाख एन सी एफ के प्रधान कार्यालय से) का एफ डी आर किया गया, जिसके लिए निवेश रजिस्टर रखना अपेक्षित था। लेखा परीक्षा ने नोट किया कि निवेश का रजिस्टर अनुपयुक्त था क्योंकि रजिस्टर में अपेक्षित सभी प्रविष्टियां नहीं की गई थी। इस मामले को पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी उठाया गया था, लेकिन कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख.2 एन सी एफ ने अपनी स्थापना से उप–नियम नहीं बनाए थे। यह अधिकारियों के विनियम, प्रबंधन, नियुक्ति और उनकी निबंधन एवं शर्तों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप नहीं था। इसे पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था, लेकिन एन सी एफ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख.3 एन सी एफ ने नियत परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया था। एन सी एफ ने केवल नियत परिसंपत्तियों का एक कंप्यूटरीकृत विवरण प्रस्तुत किया है, जिसे ह्रास राशि की गणना की सुविधा के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा तैयार किया गया था। इसे पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था, लेकिन एन सी एफ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख.4 एन सी एफ में वाऊचरों के अनुरक्षण की उपयुक्त प्रणाली मौजूद नहीं है। मार्च 2018 माह के लिए वाउचरों की जांच से निम्नलिखित त्रुटियां सामने आईं :

i) भारत सरकार के प्राप्ति एवं भुगतान नियमों के नियम 59 में उल्लिखित निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार वाउचरों को अनुरक्षित नहीं किया गया।

ii) वाउचर स्वीकृतियों और भुगतान ब्यौरे द्वारा समर्थित नहीं थे।

iii) वाउचर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।

उपर्युक्त के मद्देनजर लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए वाउचर पर लेखा परीक्षा में ध्यान नहीं दिया जा सका। इसे पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था, लेकिन एन सी एफ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख.5 एन सी एफ ने उपभोग्य और गैर उपभोग्य मदों का स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा।

ख.6 नियत जमा में निवेश उचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना और अपेक्षित सावधानी के बिना किया गया, जिसका परिणाम निम्नतर दरों पर नियत जमाओं में निवेश हुआ, जो त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण को प्रकट कर रहा है।

ख.7 एन सी एफ ने निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2009–10 और 2010–11 के दौरान एन सी एफ द्वारा सृजित आय पर कर के रूप में रु. 55.98 लाख का भुगतान किया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2012–13 के लिए रु. 87.43 लाख की राशि अप्रयुक्त रह गई, जिसके लिए एन सी एफ ने आयकर की छूट के लिए अपील दायर की है।

ग. सहायता अनुदान

एन सी एफ को रु. 1950 लाख की एकमुश्त कॉरपस निधि द्वारा वित्त पोषित किया गया। वर्ष 2017–18 के प्रारंभ में एन सी एफ के पास रु. 4525.62 लाख की कॉरपस निधि थी। इसने वर्ष के दौरान निधि के निवेश पर रु. 241.47 लाख का ब्याज अर्जित किया। इसे वर्ष के दौरान रु. 9.54 लाख की विविध प्राप्ति हुई। उपलब्ध रु. 251.01 लाख निधियों में से इसने रु. 94.36 लाख का उपयोग किया और रु. 156.65 लाख के अव्ययित शेष को कारपस निधि में अंतरित कर दिया। वर्ष के अंत में एन सी एफ के पास रु. 4682.27 लाख की कारपस निधि थी।

v. पूर्ववर्ती पैरा में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा डील किया गया तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है।

vi. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर नोटों के साथ पठित और ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और ठीक तस्वीर पेश करता है :

क. जहां तक कि इसका संबंध 31 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि के कार्य स्थिति के तुलन पत्र से है, और

ख. जहां तक इसका संबंध उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अतिरेक के आय एवं व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 13.02.2019

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2017–18 के लिए एन सी एफ की आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

बाह्य लेखा परीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर प्रभावी नहीं था क्योंकि 2002–03 से 2016–17 तक की अवधि के लिए 38 निरीक्षण रिपोर्ट पैरे बकाए थे।

3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

मार्च 2018 तक स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया है। तथापि, एन सी एफ ने लेखा परीक्षा को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

4. वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

मार्च, 2018 तक लेखन सामग्री और उपभोग्य मदों का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया है। तथापि, एन सी एफ ने लेखा परीक्षा को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

5. सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता

31.03.2018 को सांविधिक बकायों जैसे कि आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर एवं अंशदायी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में छह माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

संलग्नक–1

(राशि रु. में)

क्र. सं.	दाता का नाम	उद्देश्य	एम ओ यू की तिथि	वचनबद्ध राशि	प्राप्त राशि	प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)	स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के ए एस आई स्थल संग्रहालय का नवीनीकरण	30.10.2014	20000000 तक	4000000	200000
2.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फायनांस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)	एन सी एफ द्वारा सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण	09.03.2016	50000000	50000000	2500000
3.	सोनी इंडिया प्रा. लि.	एन सी एफ द्वारा सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण	30.03.2016	19000000	19000000	950000
	कुल			**232500000**	**103000000**	**5150000**

लेखा परीक्षक का रिपोर्ट

विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एक्स वी–5352/ए (प्रथम तल)
शोरा कोठी, पहाड़गंज,
नई दिल्ली–110055
टेलीफोन : 23562736, 23586782
टेली./फैक्स : 23586782

हमने 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार **राष्ट्रीय संस्कृति निधि** के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और आय एवं व्यय लेखा की लेखा परीक्षा की है और रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य थे।

ख) हमारी राय में सोसायटी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक ऐसी बहियों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

ग) इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा लेखा बहियों के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी और विष्वास के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर नोटों के साथ पठित और ऊपर कथित लेखाएं सत्य और ठीक तस्वीर पेश करता है :

i) 31 मार्च, 2018 को एसोसिएशन के कार्य स्थिति के तुलन पत्र के मामले में है,

ii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निधियों के व्यय के ऊपर अतिरेक के आय एवं व्यय के मामले में है,

iii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी के संचलन के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के मामले में।

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
(भागीदार)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 31 जुलाई, 2018

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का लेखा विवरण वित्त वर्ष 2017-18

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कार्पस/पूंजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	31.03.2018	31.03.2017
कार्पस/पूंजीगत निधि	1	468,226,994	452,562,342
रिजर्व एवं अतिरेक	2	—	—
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	3	220,368,331	237,574,974
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	—	—
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5	—	—
आस्थगित ऋण देयताएं	6	—	—
चालू देयताएं और प्रावधान	7	3,516,010	3,375,370
कुल		**692,111,335**	**693,512,686**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	1,997,805	2,229,521
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि से निवेश	9	—	—
निवेश – अन्य	10	—	—
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	690,113,530	691,283,165
विविध खर्च		—	—
(बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं की गई सीमा	तक)		
कुल		**692,111,335**	**693,512,686**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टानुसार

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 015053एन)

कृते राष्ट्रीय संस्कृति निधि
की ओर से

विपुल कुमार (भागीदार)
एम. एन. : 094803

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2018

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	31.03.2018	31.03.2017
बिक्री/सेवाओं से आय	12	—	—
अनुदान एवं सहायिकी	13	1,880	1,531,600
शुल्क/अंशदान	14	—	—
निवेश से आय (निधियों में नहीं अंतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर आय)	15	—	—
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	—	—
अर्जित ब्याज	17	24,146,569	33,331,855
अन्य आय	18	951,931	3,283
तैयार मामलों के भंडार में वृद्धि/(कमी) और प्रगति में कार्य	19	—	—
कुल (क)		**25,100,380**	**34,866,738**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	2,329,822	4478517
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,275,425	2,590,607
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	—	1,531,600
ब्याज	23	5,598,765	121,191
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल कुल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)		231,716	262,011
कुल (ख)		**9,435,728**	**8,983,926**
व्यय की तुलना में अधिक आय के कारण शेष (क–ख)		**15,664,652**	**25,882,812**
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		—	—
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण		—	—
अधिक/कम शेष जो कार्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया		**15,664,652**	**25,882,812**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	—	—
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25	—	—

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टानुसार

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 015053एन)

विपुल कुमार (भागीदार)
एम. एन. : 094803

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2018

कृते राष्ट्रीय संस्कृति निधि
की ओर से

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 1 – कार्पस/पूंजीगत निधि	31.03.2018		31.03.2017	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		452,562,342		426,679,530
जोड़ें – कार्पस/पूंजीगत निधि में अंशदान	–		–	
जोड़ें/(घटाएं) – आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	15,664,652		25,882,812	
घटाएं : अलग संयुक्त बैंक खाते में अंतरित राशि	–	15,664,652	–	25,882,812
वर्ष के अंत में शेष		468,226,994		452,562,342

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
अनुसूची 2 – रिजर्व एवं अतिरेक				
1. पूंजीगत रिजर्व				
अंतिम लेखा के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान जोड़	–		–	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :				
अंतिम लेखा के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान जोड़	–		–	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
3. विशेष रिजर्व :				
अंतिम लेखा के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान जोड़	–	–	–	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
4. सामान्य रिजर्व :				
वर्ष के दौरान जोड़	–	–	–	–
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
कुल	–	–	–	–

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 3 – उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	निधि वार ब्यौरा				
	निधि WW	निधि XX	निधि YY	31.03.2018	31.03.2017
क) निधि का आरंभिक शेष	संलग्न अनुबंध के अनुसार			237,574,974	201,343,044
ख) निधि में परिवर्धन					
i. दान/अनुदान				15,461,103	32,550,892
ii. निधियों में से किए गए निवेशों से आय				11,833,543	16,860,470
iii. अन्य परिवर्धन (स्वरूप का उल्लेख करें)				–	–
कुल (ख)				**27,294,646**	**49,411,362**
कुल (क+ख)				**264,869,620**	**250,754,405**
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय	संलग्न अनुबंध के अनुसार				
i. **पूंजीगत व्यय**					
– स्थायी परिसंपत्तियां				–	–
– अन्य				–	–
योग				–	–
ii. **राजस्व व्यय**	संलग्न अनुबंध के अनुसार				
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि				–	–
– किराया				–	–
– अन्य प्रशासनिक व्यय				11,634	9,315
– परियोजना व्यय				44,489,655	13,170,116
योग				**44,501,289**	**13,179,431**
योग (ग)				**44,501,289**	**13,179,431**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)				**220,368,331**	**237,574,974**

टिप्पणी :

1. अनुदानों से संबद्ध शर्तों पर आधारित संगत शीर्षों के अधीन प्रकटन किया जाएगा।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना गत निधियां पृथक निधि के रूप में दर्शायी जाएगी और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची–2 का अनुबंध

अनुसूची–2 उदिदष्ट/वृत्तिदान निधि निधि–वार ब्यौरा

(राशि रुपयों में)

	बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर	हुमायूं का मक़बरा परियोजना, दिल्ली	जंतर मंतर परियोजना, दिल्ली	ज्ञान प्रवाह परियोजना, कोलकाता	किष्किन्धा ट्रस्ट परियोजना	रमण महर्षि परियोजना भाग–1	शनिवारवाड़ा, पुणे परियोजना	राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	डी. जी. जैसलमेर किला परियोजना	देवाहुति दामोदर स्वराज ट्रस्ट परियोजना	लोधी मक़बरा परियोजना
चालू वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. निधि का प्रारंभिक शेष	128,055	20,380	784,249	16,321	56,823	1,187	2,019,104	1,121,867	64,563,459	8,983	3,362,294
ख. निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	4,920	756	29,181	–	2,684	–	–	42,812	1,982,860	346	125,236
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-टिकटों की बिक्री (L&S शो)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-प्राप्त मंच किराया	–	–	–	–							
कुल (ख)	4,920	756	29,181	–	2,684	–	–	42,812	1,982,860	346	125,236
कुल (क+ख)	132,975	21,136	813,430	16,321	59,507	1,187	2,019,104	1,164,678	66,546,319	9,329	3,487,530
ग निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
- अन्य प्रशासनिक व्यय		118	115	–	115	72	–	118	178	59	115
- परियोजना व्यय	–	–	–	–	–	–	–	–	20,109,369	–	–
कुल	–	118	115	–	115	72	–	118	20,109,547	59	115
कुल (ग)	–	118	115	–	115	72	–	118	20,109,547	59	115
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	132,975	21,018	813,315	16,321	59,392	1,115	2,019,104	1,164,560	46,436,772	9,270	3,487,415
निधियों का योग	132,975	21,018	813,315	16,321	59,392	1,115	2,019,104	1,164,560	46,436,772	9,270	3,487,415
गत वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क) निधि का प्रारंभिक शेष	123,049	19,394	746,369	16,953	54,599	1,056	2,020,079	1,078,092	61,078,088	8,693	3,201,751
ख) निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	–	–	–	–	–	–	223,766	–	–	–	
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	5,006	986	37,880	–	2,224	131	102,279	43,775	6,879,823	352	160,543
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज											
-टिकटों की बिक्री (L&S शो)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-प्राप्त मंच किराया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल (ख)	5,006	986	37,880	–	2,224	131	326,045	43,775	6,879,823	352	160,543
कुल (क+ख)	128,055	20,380	784,249	16,953	56,823	1,187	2,346,124	1,121,867	67,957,910	9,045	3,362,294
ग निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
-अन्य प्रशासनिक व्यय	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
- परियोजना व्यय	–	–	–	633	–	–	327,021	–	3,394,452	62	–
कुल	–	–	–	633	–	–	327,021	–	3,394,452	62	–
कुल (ग)	–	–	–	633	–	–	327,021	–	3,394,452	62	–
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	128,055	20,380	784,249	16,321	56,823	1,187	2,019,104	1,121,867	64,563,459	8,983	3,362,294
निधियों का योग	128,055	20,380	784,249	16,321	56,823	1,187	2,019,104	1,121,867	64,563,459	8,983	3,362,294

	लौरिया नंदनगढ़ परियोजना – बोकारो स्टील प्लान्ट	आलमबाज़ार मठ, कोलकाता परियोजना	हिडिम्बा देवी मंदिर परियोजना, मनाली	गोल गुंबद, बीजापुर–स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन परियोजना	वज़ीरपुर का गुंबद – पी ई सी परियोजना	तुग़लक़ाबाद किला परियोजना	हम्पी फाउंडेशन परियोजना	इंडियन ऑयल फाउंडेशन परियोजना	किशोरी अमोनकर पर वृत्तचित्र परियोजना	हज़ारद्वारी, मुर्शिदाबाद परियोजना
चालू वर्ष	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
क. निधि का प्रारंभिक शेष	3,098,037	8,375,343	2,715,725	13,310	150,411	877,268	289,284	13,598,584	14,213	1,031,048
ख. निधि में परिवर्धन										
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii निधि में किए गए निवेशों से आय	119,106	326,975	104,142	491	5,599	94,799	10,804	552,158	–	63,954
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-टिकटों की बिक्री (L&S शो)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-प्राप्त मंच किराया	-	-	-				-			
कुल (ख)	119,106	326,975	104,142	491	5,599	94,799	10,804	552,158	–	63,954
कुल (क+ख)	3,217,143	8,702,318	2,819,867	13,801	156,010	972,066	300,088	14,150,742	14,213	1,095,002
ग निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय										
- अन्य प्रशासनिक व्यय	–	115	720	115	115	649	–	–	–	649
- परियोजना व्यय	–	–	2,000,000	–	–	853,386	–	–	–	–
कुल	–	115	2,000,000	115	115	854,035	–	–	–	649
कुल (ग)	–	115	2,000,720	115	115	854,035	–	–	–	–
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	3,217,143	8,702,203	819,147	13,686	155,895	118,031	300,088	14,150,742	14,213	1,094,353
निधियों का योग	3,217,143	8,702,203	819,147	13,686	155,895	118,031	300,088	14,150,742	14,213	1,094,353
गत वर्ष	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
क) निधि का प्रारंभिक शेष	2,976,829	7,968,725	2,609,475	12,675	143,229	829,860	277,967	12,991,200	14,213	967,070
ख) निधि में परिवर्धन										
i. दान/अनुदान -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	121,208	406,669	106,250	635	7,182	48,040	11,317	607,384	–	64,610
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-टिकटों की बिक्री (L&S शो)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-प्राप्त मंच किराया	-	-	-				-			
कुल (ख)	121,208	406,669	106,250	635	7,182	48,040	11,317	607,384	–	64,610
कुल (क+ख)	3,098,037	8,375,394	2,715,725	13,310	150,411	877,900	289,284	13,598,584	14,213	1,031,680
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय										
- अन्य प्रशासनिक व्यय	–	–	–	–	–	633	–	–	–	633
- परियोजना व्यय	–	51	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	–	51	–	–	–	633	–	–	–	633
कुल (ग)	–	51	–	–	–	633	–	–	–	633
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	3,098,037	8,375,343	2,715,725	13,310	150,411	877,268	289,284	13,598,584	14,213	1,031,048
निधियों का योग	3,098,037	8,375,343	2,715,725	13,310	150,411	877,268	289,284	13,598,584	14,213	1,031,048

	नौरस न्यास परियोजना	राष्ट्रीय संस्कृति निधि – एन टी पी सी परियोजना	श्रीमती मृणालिनी साराभाई पर फिल्म की परियोजना	ओ एन जी सी – राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना	रीच प्रतिष्ठान परियोजना	एम एस आर वी एम पुराना पुष्कर परियोजना	एस सी आई महाबलीपुरम् परियोजना	अहोम स्मारक परियोजना	इंडिया फोटो अभिलेख प्रतिष्ठान परियोजना	एन टी पी सी नागरिक सेवा मंडल परियोजना	वी सी एफ आर ई सी परियोजना
चालू वर्ष	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
क. निधि का प्रारंभिक शेष	1,361,485	1,740,837	1,506,705	10,149	25,871	51,173	372,498	17,614,605	80,023	435,536	322,157
ख. निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii निधि में किए गए निवेशों से आय	87,391	127,053	96,781	–	172,351	–	21,202	660,585	1,446	–	–
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-टिकटों की बिक्री (L&S शो)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-प्राप्त मंच किराया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल (ख)	87,391	127,053	96,781	–	172,351	–	21,202	660,585	1,446	–	–
कुल (क+ख)	1,448,876	1,867,890	1,603,486	10,149	198,222	51,173	393,700	18,275,190	81,469	435,536	322,157
ग निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
- अन्य प्रशासनिक व्यय	649	826	649	1,239	649	649	649	649	649	–	649
- परियोजना व्यय	–	–	–	–	–	–	–	1,118,051	–	–	
कुल	649	826	649	1,239	649	649	649	1,118,700	649	–	649
कुल (ग)	649	826	649	1,239	649	649	649	1,118,700	649	–	649
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	1,448,227	1,867,064	1,602,837	8,910	197,573	50,524	393,051	17,156,490	80,820	435,536	321,508
निधियों का योग	1,448,227	1,867,064	1,602,837	8,910	197,573	50,524	393,051	17,156,490	80,820	435,536	321,508
गत वर्ष	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
क) निधि का प्रारंभिक शेष	1,275,578	1,639,080	1,411,141	10,781	26,503	46,805	353,356	20,292,578	79,239	435,536	322,789
ख) निधि में परिवर्धन											
i. दान/अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	86,539	102,389	96,196	–	–	5,000	19,774	2,323,119	1,416	–	–
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-टिकटों की बिक्री (L&S शो)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-प्राप्त मंच किराया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल (ख)	86,539	102,389	96,196	–	–	5,000	19,774	2,323,119	1,416	–	–
कुल (क+ख)	1,362,117	1,741,469	1,507,337	10,781	26,503	51,805	373,130	22,615,697	80,655	435,536	322,789
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय											
- अन्य प्रशासनिक व्यय	633	633	633	633	633	633	633	1,093	633	–	633
- परियोजना व्यय	–	–	–	–	–	–	–	5,000,000	–	–	–
कुल	633	633	633	633	633	633	633	5,001,093	633	–	633
कुल (ग)	633	633	633	633	633	633	633	5,001,093	633	–	633
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	1,361,485	1,740,837	1,506,705	10,149	25,871	51,173	372,498	17,614,605	80,023	435,536	322,157
निधियों का योग	1,361,485	1,740,837	1,506,705	10,149	25,871	51,173	372,498	17,614,605	80,023	435,536	322,157

	हुडको सुंदरवाला परियोजना	राष्ट्रीय संस्कृति निधि एन टी पी सी जंतर मंतर परियोजना	श्रीमती उत्तरादेवी न्यास परियोजना	राष्ट्रीय संस्कृति निधि नवेली निग्नाइट परियोजना	राष्ट्रीय संस्कृति निधि भेल एस एस एस परियोजना	राष्ट्रीय संस्कृति निधि ओस्मानिया विश्वविद्यालय परियोजना	राष्ट्रीय संस्कृति निधि सोनी इंडिया लि. परियोजना	राष्ट्रीय संस्कृति निधि – आई आई एफ सी एल परियोजना	एन बी सी सी इंडिया परियोजना	कुल
चालू वर्ष	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	
क. निधि का प्रारंभिक शेष	326,792	41,223	201,239	1,845,923	4,070,803	1,105,496	20,414,095	53,802,427	30,000,000	237,574,974
ख. निधि में परिवर्धन										
i. दान/अनुदान	–	–	–	–		–	–	14,162,924	1,298,179	15,461,103
ii निधि में किए गए निवेशों से आय	58,027	13,525	–	70,968	238,048	42,502	4,530,163	2,246,679	–	11,833,543
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-टिकटों की बिक्री (L&S शो)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-प्राप्त मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	58,027	13,525	–	70,968	238,048	42,502	4,530,163	16,409,603	1,298,179	27,294,646
कुल (क+ख)	384,818	54,748	201,239	1,916,891	4,308,851	1,147,998	24,944,258	70,212,030	31,298,179	264,869,620
ग निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय										
- अन्य प्रशासनिक व्यय	649	–	649	–	–	–	–	–	–	11,634
- परियोजना व्यय	–	–	15,870	–	916,000	–	13,344,029	6,132,776	–	44,489,655
कुल	649	–	16,519	–	916,000	–	13,344,029	6,132,776	–	44,501,289
कुल (ग)	649	–	16,519	–	916,000	–	13,344,029	6,132,776	–	44,501,289
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	384,169	54,748	184,720	1,916,891	3,392,851	1,147,998	11,600,229	64,079,254	31,298,179	220,368,331
निधियों का योग	384,169	54,748	184,720	1,916,891	3,392,851	1,147,998	11,600,229	64,079,254	31,298,179	220,368,331
गत वर्ष	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	
क) निधि का प्रारंभिक शेष	1,269,592	33,180	874,745	1,773,704	4,218,178	1,062,245	19,000,000	50,078,647	–	201,343,044
ख) निधि में परिवर्धन										
i. दान/अनुदान	–	700,000	1,627,126	–	–	–	–	–	30,000,000	32,550,892
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	57,832	8,043	–	72,219	300,523	43,251	1,414,095	3,723,780	–	16,860,470
iii. अन्य परिवर्धन – बैंक ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-		-
-टिकटों की बिक्री (L&S शो)	-	-	-	-	-		-	-	-	-
-प्राप्त मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	57,832	708,043	1,627,126	72,219	300,523	43,251	1,414,095	3,723,780	30,000,000	49,411,362
कुल (क+ख)	1,327,424	741,223	2,501,871	1,845,923	4,518,701	1,105,496	20,414,095	53,802,427	30,000,000	250,754,405
ग)निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय										
- अन्य प्रशासनिक व्यय	633	–	633	–	–	–	–	–	–	9,315
- परियोजना व्यय	1,000,000	700,000	2,300,000	–	447,898	–	–	–	–	13,170,116
कुल	1,000,633	700,000	2,300,633	–	447,898	–	–	–	–	13,179,431
कुल (ग)	1,000,633	700,000	2,300,633	–	447,898	–	–	–	–	13,179,431
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	326,792	41,223	201,239	1,845,923	4,070,803	1,105,496	20,414,095	53,802,427	30,000,000	237,574,974
निधियों का योग	326,792	41,223	201,239	1,845,923	4,070,803	1,105,496	20,414,095	53,802,427	30,000,000	237,574,974

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	31.03.2018		31.03.2017	
अनुसूची –4 – सुरक्षित ऋण एवं उधार				
1. केन्द्र सरकार	–		–	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		–		–
3. वित्तीय संस्थाएं				
क) सावधि ऋण		–		–
ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	–	–	–	–
4. बैंक				
क) सावधि ऋण		–		–
– प्रोद्भूत ब्याज एवं देय		–		–
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		–		–
– प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	–	–	–	–
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		–		–
6. डिबेंचर एवं बंध पत्र		–		–
7. अन्य (उल्लेख करें)		–		–
कुल		–		–

नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची – 5 – असुरक्षित ऋण एवं उधार		
1. केन्द्र सरकार	–	–
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	–	–
3. वित्तीय संस्थाएं	–	–
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	–	–
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	–	–
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	–	–
6. डिबेंचर एवं बंध पत्र	–	–
7. नियत जमाएं	–	–
8. अन्य (उल्लेख करें)	–	–
कुल	–	–
अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
क) पूंजी के गिरवी द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	–	–
ख) अन्य	–	–
कुल	–	–

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	31.03.2018		31.03.2017	
अनुसूची–7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान				
क. चालू देयताएं				
1. विविध ऋणदाता				
क) माल एवं सेवा के लिए	845,283	845,283	712,533	712,533
2. प्राप्त अग्रिम राशियां	462,051	462,051	462,051	462,051
3. सांविधिक देयताएं				
ख) अन्य : संदेय टीडीएस	17,506	17,506	28,700	28,700
4. अन्य चालू देयताएं : अग्रिम धन				
: परियोजना को वापसी योग्य राशि	1,330,330		1,330,330	
: संदेय व्यय	119,084		100,000	
: राष्ट्रीय संग्रहालय को संदेय	742,475		742,475	
: संस्कृति मंत्रालय को संदेय	(719)	2,191,170	(719)	2,172,086
कुल (क)		**3,516,010**		**3,375,370**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए		–		–
कुल (ख)		–		–
कुल (क + ख)		**3,516,010**		**3,375,370**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 4 – स्थायी परिसंपत्तियां विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास				निवल खंड	
	मूल्य–ह्रास दर	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के अंत में प्रारंभ	वर्ष के दौरान परिवर्धनों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
1 एयर कंडीशनर	15%	57,500	–	–	57,500	56,651	127	–	56,778	722	849
2 वाल्टेज स्टैब्लाइजर	15%	4,800	–	–	4,800	4,729	11	–	4,740	60	71
3 रेफ्रिजरेटर	15%	7,063	–	–	7,063	6,924	21	–	6,945	118	139
4 फर्नीचर मदें	10%	3,039,564	–	–	3,039,564	971,121	206,844	–	1,177,965	1,861,599	2,068,443
5 फोटो कॉपियर	15%	689,612	–	–	689,612	540,789	22,323	–	563,112	126,500	148,823
6 फैक्स मशीन	15%	35,900	–	–	35,900	27,543	1,254	–	28,797	7,103	8,357
7 कम्प्यूटर हार्डवेयर	40%	896,554	–	–	896,554	893,730	1,130	–	894,860	1,694	2,824
8 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	24,390	–	–	24,390	24,375	6	–	24,381	9	15
चालू वर्ष का योग		**4,755,383**	–	–	**4,755,383**	**2,525,862**	**231,716**	–	**2,757,578**	**1,997,805**	**2,229,521**
गत वर्ष		**4,755,383**	–	–	**4,755,383**	**2,263,851**	**262,011**	–	**2,525,862**	**2,229,521**	**2,491,532**

(उपर्युक्त में शामिल भाड़ा – खरीद आधार पर परिसम्पत्तियों की लागत के बारे में दी जाने वाली टिप्पणी)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित लेखाकरण के नए लेखांकन फार्मेट की अपेक्षा का पालन करने के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के समूहीकरण में परिवर्तन किया गया है।

(उपर्युक्त में शामिल भाड़ा – खरीद आधार पर परिसम्पत्तियों के बारे में दी जाने वाली टिप्पणी)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित लेखाकरण के नए लेखांकन फार्मेट की अपेक्षा का पालन करने के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के समूहीकरण में परिवर्तन किया गया है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रु. में)

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 9 उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश		
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	–	–
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	–	–
3 शेयर	–	–
4 डिबेंचर एवं बॉण्ड	–	–
5 सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	–	–
6 अन्य (विशिष्ट परियोजनाएं एफडीआर)		
परियोजना ज्ञान प्रवाह – एफडीआर	–	–
परियोजना चौ. चरण सिंह जन्म शताब्दी – एफडीआर	–	–
परियोजना डी जी जैसलमेर – एफडीआर	–	–
कुल	–	–

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रु. में)

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 10 निवेश – अन्य		
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	–	–
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	–	–
3 शेयर	–	–
4 डिबेंचर एवं बॉण्ड	–	–
5 सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	–	–
6 अन्य (उल्लेख किया जाए)	–	–
कुल	–	–

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	31.03.2018		31.03.2017	
अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम धन आदि				
क. चालू परिसंपत्तियां				
1 विविध ऋणदाता				
क. छह मास से अधिक अवधि से बकाया ऋण	391,369		–	
ख. अन्य	–	391,369	1,157,169	1,157,169
2 हाथ रोकड़ शेष (चेक, ड्राफ्ट तथा अग्रदाय सहित)	5,025	5,025	15	15
– अनुबंध–1 संलग्न				
3 बैंक में शेष राशि :				
क. अनुसूचित बैंकों में :				
– सावधि जमा खाते में (मार्जिन राशि भी शामिल है)	596,135,274		556,896,935	
अनुबंध–1 संलग्न				
– बचत खाते में अनुबंध–1 संलग्न	65,360,520	661,495,794	91,413,683	648,310,617
कुल (क) – विवरण संलग्न अनुबंध के अनुसार		**661,892,188**		**649,467,801**
ख. ऋण, अग्रिमधन और अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण				
ग) अन्य	–		–	–
2. अग्रिम धन और अन्य रकमें जो नकदी में या वस्तु रूप में या प्राप्तव्य मूल्य पर वसूलनीय है।				
ख) पूर्व भुगतान	–		–	
ग) अन्य – महानिदेशक (ए एस आई)	–	–	–	–
3. प्रोद्भूत आय				
क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश पर	1,106,949		4,831,702	
ख) अन्य – निवेशों पर	11,991,058		22,953,045	
ग) अन्य	–	13,098,007	–	27,784,747
4. प्राप्य दावे/टी डी एस वसूली योग्य :				
एन सी एफ निवेशों पर	10,117,813		10,131,277	
परियोजनाओं पर	5,005,522	15,123,335	3,899,340	14,030,617
कुल (ख)		**28,221,342**		**41,815,364**
कुल (क + ख)		**690,113,530**		**691,283,165**

अनुसूची 5 का अनुबंध–1

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अंतिम शेष	(रुपये में) 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार		(रुपये में) 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार	
1 रोकड़ शेष				
एन सी एफ – अग्रदाय	5,025	5,025	15	15
विशिष्ट परियोजनाएं –				
कुल 1		**5,025**		**15**
2 बैंक शेष				
अनुसूचित बैंकों के बैंक शेष				
क) चालू खातों पर –				
ख) मार्जिन राशि सहित जमा लेखा में				
एन सी एफ मुख्यालय				
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	–		–	
आई डी बी आई, नई दिल्ली	–		183,505,451	
आई डी एफ सी बैंक, नई दिल्ली	198,123,902		–	
केनरा बैंक	223,744,077		215,059,508	
विशिष्ट परियोजनाएं				
सावधि जमा – परियोजनाएं	174,267,295	596,135,274	158,331,976	556,896,935
ग) बचत खाते में				
एन सी एफ मुख्यालय				
एन सी एफ, एल टी पी खाता सं. 1231	10,741,918		10,323,892	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 7456	–		5,572,601	
आई डी एफ सी बैंक खाता सं. 7884	458,323		–	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,780,052		–	
आई डी बी आई बैंक – खाता सं. 0055	3,814,217		3,440,955	
केनरा बैंक खाता सं. 627	4,577,445		1,564,278	
		25,371,955		20,901,726
विशिष्ट परियोजनाएं				
बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर	132,865		127,945	
हुमायूं का मक़बरा परियोजना	21,018		20,380	
जैसलमेर किला परियोजना – बैंक	180,731		163,871	
जंतर मंतर परियोजना	812,608		783,542	
ज्ञान प्रवाह परियोजना	6,471		6,471	
किष्किन्धा न्यास परियोजना	59,392		56,823	
तुगलकाबाद किला परियोजना	–		73,119	
रमण महर्षि परियोजना – भाग–1	1,115		1,187	
देवाहूति दामोदर स्वराज न्यास परियोजना	9,230		8,943	

राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	1,164,560		1,121,867	
शनिवारवाड़ा परियोजना	2,019,104		2,019,104	
आलमबाज़ार मठ परियोजना	8,702,203		8,375,343	
गोल गुम्बज़ परियोजना	13,686		13,310	
हिडिम्बा मंदिर परियोजना, मनाली	819,147		2,715,725	
वज़ीरपुर का गुम्बज़ परियोजना	155,895		150,411	
इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान परियोजना	14,150,742		13,598,584	
हम्पी प्रतिष्ठान परियोजना	300,088		289,284	
लोधी मक़बरा परियोजना	3,487,415		3,362,294	
एन बी सी सी परियोजना–भारत एसबीआई बैंक	107,033		30,000,000	
हज़ारद्वारी मुर्शिदाबाद परियोजना	98,196		98,845	
भारतीय फोटो अभिलेख परियोजना	52,617		53,266	
नौरस न्यास परियोजना	49,209		49,858	
एन सी एफ परियोजना – एन टी पी सी	27,874		98,905	
श्रीमती मृणालिनी साराभाई पर फिल्म परियोजना	98,192		98,842	
ओ एन जी सी रीच प्रतिष्ठान परियोजना	19,317		19,967	
एम एस आर वी एम (पुराना) पुष्कर परियोजना	50,433		51,082	
ओ एन जी सी अहोम स्मारक परियोजना	19,160		19,810	
एस सी एल महाबलीपुरम् परियोजना	71,051		71,701	
ओ एन जी सी राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना	8,909		10,149	
लौरिया नंदनगढ़ बोकारो परियोजना	3,217,143		3,098,037	
नागरिक सेवा मंडल परियोजना	435,536		435,536	
उत्तरादेवी चैरिटेबल परियोजना	22,749		23,399	
एस टी सी जंतर मंतर परियोजना	17,630		15,065	
हुडको क्राफ्ट सुंदरवाला परियोजना	39,852		40,501	
भेल एस एस एस परियोजना	113,244		121,100	
एन सी एफ नवेली लिग्नाइट परियोजना	1,916,891		1,845,923	
आर ई सी परियोजना	25,474		26,124	
आई एफ सी एल परियोजना	174,961		109,729	
सोनी इंडिया लिमिटेड परियोजना	109,190		106,139	
जैसलमेर (नई) परियोजना	112,834		108,897	
ओस्मानिया विश्वविद्यालय परियोजना	1,147,998		1,105,496	
हुडको क्राफ्ट प्रशिक्षण परियोजना	6,952		5,541	
ज्ञान प्रवाह 2 परियोजना	9,850	39,988,565	9,850	70,511,957
कुल 2		**661,495,794**		**648,310,617**
महायोग 1 + 2		**661,500,819**		**648,310,632**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय		
1 बिक्री से आय		
क. तैयार माल की बिक्री	–	–
ख. कच्चा माल की बिक्री	–	–
ग. स्क्रैप की बिक्री	–	–
2 सेवाओं से आय		
क. श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार	–	–
ख. व्यावसायिक एवं परामर्शी सेवाएं	–	–
ग. एजेंसी कमीशन एवं दलाली	–	–
घ. अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	–	–
ङ. अन्य (उल्लेख करें)	–	–
कुल	–	

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 13 – अनुदान/सहायिकी		
(प्राप्त अटल अनुदान/सहायिकी)		
1. केन्द्र सरकार	–	–
2. राज्य सरकार	–	–
3. सरकारी एजेंसियां	–	–
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	–	–
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	–	–
6. अन्य : अनुदान	1,880	1,531,600
कुल	**1,880**	**1,531,600**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची–14 शुल्क/अंशदान		
1. प्रवेश शुल्क	–	–
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	–	–
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	–	–
4. परामर्शी शुल्क	–	–
5. अन्य (उल्लेख करें)	–	–
कुल	–	–

	उद्धिष्ट से निवेश		निवेश अन्य	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची–15 निवेशों से आय				
1 ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	–	–	–	–
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर	–	–	–	–
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	–	–	–	–
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	–	–	–	–
3 किराया	–	–	–	–
4 अन्य – परियोजनाओं से संबंधित नियत जमाएं	–	–	–	–
घटा : उद्दिष्ट/वृत्तदान निधि को हस्तांतरित	–	–		
कुल उद्दिष्ट/वृत्तदान निधि को हस्तांतरित	–	–	–	–

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

31.03.2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		
1. रॉयल्टी से आय	–	–
2. प्रकाशन से आय	–	–
3. अन्य	–	–
कुल	–	–

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमाओं पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	22,864,740	32,454,045
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	–	–
ग) अन्य	–	–
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के पास	1,281,829	877,810
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास	–	–
ग) डाकघर बचत खातें पर	–	–
घ) अन्य	–	–
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	–	–
ख) अन्य	–	–
4. ऋणियों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज	–	–
कुल	**24,146,569**	**33,331,855**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 18 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) मालिकाना संपत्तियां	–	–
ख) अनुदानों से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	–	–
2. उगाही की गई निर्यात प्रोत्साहन	–	–
3. प्रशासनिक सेवाओं के लिए शुल्क	950,000	–
4. विविध आय	1,931	3,283
कुल	**951,931**	**3,283**

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 19 – तैयार मालों के भंडार और चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)		
क) अंतिम भंडार		
– तैयार माल	–	–
– चल रहा कार्य	–	–
ख) घटा : अंतिम भंडार	–	–
– तैयार माल	–	–
– चल रहा कार्य		
निबल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	–	–

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 20 – स्थापना व्यय		
क) वेतन एवं मजदूरी	2,324,822	4,473,517
ख) भत्ते एवं बोनस	–	–
ग) भविष्य निधि में अंशदान	–	–
घ) अन्य निधि में अंशदान (उल्लेख करें)	–	–
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	–	–
च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर खर्च	–	–
छ) अन्य : मानदेय	5,000	5,000
कुल	**2,329,822**	**4,478,517**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय		
क. मरम्मत तथा अनुरक्षण, कम्प्यूटर अनुरक्षण	4,000	27,812
ख. डाक खर्च, टेलीफोन, संचार	109,379	5,164
ग. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	47,453	240,338
घ. यात्रा एवं परिवहन खर्चे	464,800	702,548
ङ लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन के लिए व्यावसायिक प्रभार	179,100	965,585
च. कार्यालय खर्चे	63,254	216,943
छ. सुरक्षा गार्ड खर्चे	215,346	121,719
ज. विज्ञापन खर्चे	192,093	–
झ. बैठक खर्चे, मेला एवं प्रदर्शनी	–	82,800
ञ. लेखा परीक्षा शुल्क	–	104,610
ट. वेब डिजाइनिंग खर्चे	–	123,088
कुल	**1,275,425**	**2,590,607**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 22 – अनुदान, सहायिकियों आदि व्यय		
क. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिया गया अनुदान	–	1,531,600
नवेली लिग्नाइट को दिया गया अनुदान		
ख. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियां	–	–
कुल	–	1,531,600

	31.03.2018	31.03.2017
अनुसूची 23 – ब्याज		
क. बैंक प्रभार	975	–
ख. टी डी एस/आय कर पर शास्तियां	5,597,790	121,191
कुल	**5,598,765**	**121,191**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि
31.03.2018 को समाप्त वर्ष का प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	31.03.2018	31.03.2017	भुगतान	31.03.2018	31.03.2017
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
क) हाथ रोकड़	15	82	क) स्थापना व्यय	2,329,822	4,478,517
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	1,134,785	2,723,921
i) जमा खातों में	556,896,935	521,500,841			
ii) बचत खातों में	91,413,683	80,021,916	II. निधियों में से किए भुगतान		
			अनुदान संबंधी व्यय	–	1,531,600
II. प्राप्त ब्याज			उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	44,501,289	13,179,431
क. बैंक जमा राशियों पर	37,740,591	33,349,332			
			III. स्थायी परिसंपत्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय		
III. अन्य आय (विशिष्ट उल्लेख करें)			क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	–	–
दान/अनुदान	767,680	765,800			
			IV. अधिशेष (सरप्लस) धन/ऋणों की वापसी		
IV. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)			क) भारत सरकार को	–	–
क. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि					
निधियों में परिवर्धन	27,294,646	34,704,038	V. वित्त प्रभार (ब्याज)	975	–
ख. प्राप्त विविध जमा	951,931	3,283			
			VI. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)		
			कर वसूली योग्य	5,597,790	121,191
			भारत की निधि	–	–
			जे पाल गुट्टी	–	–
			निरलोन प्रतिष्ठान न्यास	–	–
			लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	–
			क) हाथ रोकड़	5,025	15
			ख) बैंक शेष		
			i) जमा खातों में	596,135,274	556,896,935
			ii) बचत खातों में	65,360,520	91,413,683
कुल	**715,065,480**	**670,345,293**	**कुल**	**715,065,480**	**670,345,293**

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 015053एन)

विपुल कुमार (भागीदार
एम. एन. : 094803

कृते एवं राष्ट्रीय संस्कृति निधि
की ओर से

मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.12.2017

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

अनुसूची 24 एवं 25

तुलन पत्र और आय व व्यय लेखाओं के अभिन्न भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां

क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपराओं एवं अन्य अनिवार्य लेखा मानदंडों के तहत् तैयार किया गया है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास

क) स्थायी परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया गया है।

ख) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यह्रास पर समानुपातिक आधार पर विचार किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान नियत संपत्ति में जोड़/से कटौती के संबंध में ह्रास को समानुपातिक आधार पर विचार किया गया है।

3. लेखांकन पद्धति

न्यास अपने खातों को रोकड़ आधार पर रखता था, किन्तु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों हेतु अपेक्षाओं को अनुपालित करने के क्रम में न्यास ने वित्त वर्ष 2001–02 के बाद से लेखांकन पद्धति के रोकड़ आधार को बदलकर प्रोद्भवन आधार को अपना लिया है।

4. राजस्व मान्यता

क) न्यास लेखांकन के प्रोद्भवन प्रणाली का अनुपालन कर रहा है और सभी राजस्वों को तब मान्यता दी जाती है, जैसे ही वह प्राप्ति के लिए देय हो जाता है तथा सभी व्ययों को तभी समाकलित किया जाता है जैसे ही वे भुगतान के लिए देय हो जाते हैं।

ख) विशिष्ट परियोजनाओं से आय अर्जन/हानि को संबंधित परियोजना पूर्ण होने के वर्ष में मान्यता दी जाएगी।

5. निवेश

न्यास के पास लेखाओं के समरूप प्रपत्र (अनुसूची 9 एवं 10) में निहित प्रकृति का कोई निवेश नहीं है।

ख) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं को लेखा–बहियों में नहीं दिया गया है, किन्तु उन्हें लेखा–नोट्स के रूप में प्रकट किया गया है।

ग) लेखा टिप्पणी

1. अनुसूची 1 में दी गई कॉर्पस/पूंजीगत निधि में मुख्यतः दो भाग होते हैं यथा–प्राथमिक कॉर्पस एवं द्वितीयक कॉर्पस निधि। विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	प्राथमिक कॉर्पस निधि (राशि रूपये में)	द्वितीयक कॉर्पस निधि (राशि रूपये में)	कुल कॉर्पस निधि
प्रारंभिक शेष	19,50,00,100.00	25,75,62,241.68	45,25,62,341.68
जोड़ – वर्ष के दौरान आय एवं व्यय लेखा से अंतरित आधिक्य	शून्य	1,56,64,652.38	1,56,64,652.38
	19,50,00,100.00	**27,32,26,894.06**	**46,82,26,994.06**

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 'क' के तहत् छूट प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

3. दिनांक 28.11.1996 की भारत के राजपत्र अधिसूचना की पैरा 15 के अनुसार एन सी एफ को तत्काल अपेक्षित नहीं निधि को अल्पकालिक आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नियत जमाओं/प्रमाणपत्रों में जमा करना है। तदनुसार, इन नियत जमाओं को न्यास द्वारा अनुसूची 11 में ''बैंकशेषों – जमा खाताओं'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4. जहां पर आवश्यक हुआ है वहां पर पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को पुनः समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

5. अनुसूची 1 से 25, 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और यथातिथि पर समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न हैं।

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते एवं राष्ट्रीय संस्कृति निधि
की ओर से

(भागीदार)

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 जुलाई, 2018.

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

पुरातत्व भवन
5वां तल, डी ब्लाक,
आई एन ए, नई दिल्ली-110023
Website : www.ncf.nic.in

Designed & Printed by : Indu Cards & Graphics, Mob : 9811419531